सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 216/2024 दिनांक : 08.01.2025

परिवादी :– श्री प्रीतम गिरी पुत्र श्री घसीटू गिरी, ग्रा0 गाधारौणा, पोस्ट–लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री प्रीतम गिरी पुत्र श्री घसीटू गिरी, ग्रा0 गाधारौणा, पोस्ट–लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD9L195722493, भार 10 एच0पी0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह अपने विद्युत बिलों को जमा करते आ रहे हैं। उनको लगभग दो साल से आईडीएफ के आधार पर बिल दिये जा रहे हैं। लेकिन उनका मीटर नहीं बदला जा रहा है, माह सितम्बर 2023 में उनको आईडीएफ के आधार पर बहुत अधिक धनराशि रू0 84,878.00 का गलत बिल दिया गया, जिसे विभाग के काफी चक्कर लगाने पर ठीक किया गया जो उनके द्वारा दिनांक 02.04.2024 को जमा कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी उनका मीटर नहीं बदला गया और अब फिर से माह 08/2024 को उनको आईडीएफ के आधार पर ही रू0 2,32,612.00 का गलत बिल दिया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अरूण गिरी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी क़ी उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर, विपक्षी को जवाब हेतु, नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 7247 दिनांकित 20.12.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या–RD9L195722493 श्री प्रीतम गिरी पुत्र श्री घसीटू गिरी, ग्रा0 गाधारौणा, पोस्ट–लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर निजि नलकूप उपयोग हेतु 10 एच0पी0 दिनांक 20.08.2014 को निर्गत किया गया था। उक्त

क्रमशः......02

विद्युत संयोजन के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन का बीजक पूर्व एमयू के औसत पर, बीजक संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 16074.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन निजि नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच0पी0 भार पर, दिनांक 20.08.2014 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 02.01.2022 तक एमयू आधार पर, दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 08.08.2024 तक लगातार 08 बिलिंग चक्रों के लिए आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 02.01.2022 से दिनांक 15.07.2023 तक, लगभग 17.50 माह की अवधि हेतु कुल 11418 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 17.50 माह की अवधि में, औसतन लगभग 653 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.12.2023 को जारी बिल में, दिनांक 15.07.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक, लगभग 5.50 माह की अवधि हेतु कुल 35548 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, आईडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 5.50 माह की अवधि हेतु, औसतन लगभग 6463 प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 653 यूनिट प्रतिमाह के सापेक्ष 889.74 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.08.2024 को जारी बिल में, दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 08.08.2024 तक, लगभग 7.26 माह की अवधि हेतु कुल 85185 यूनिट विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, आईडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 7.26 माह की अवधि हेतु औसतन लगभग 11734 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 652 यूनिट प्रति माह की तुलना में 1696.94 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नही होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 7247 दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.12.2023 तथा दिनांक 08.08.2024 को आईडीएफ आधार पर जारी बिलों को, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 30.12.2023 तथा दिनांक 08.08.2024 को, विद्युत खपत का त्रुटिपूर्ण निर्धारण के आधार पर जारी बिलों को निरस्त करते हुए, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

क्रमशः......03

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/01/2025 08/01/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 220/2024 **दिनांक : 30.01.2025**

परिवादी :– श्री कृष्णपाल पुत्र श्री जगपाल, आखेखेड़ी, पोस्ट मुण्डलाना, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री कृष्णपाल पुत्र श्री जगपाल, आखेखेड़ी, पोस्ट मुण्डलाना, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD1F312151316 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनके द्वारा अपना बिल हर माह जमा किया जा रहा है। माह 11/2023 में उनको गलत रीडिंग का बिल भेज दिया गया और आज दिनांक तक गलत बिल दिया जा रहा है। उनका विद्युत मीटर खराब हो गया है, जोकि मीटर भी अभी तक नहीं बदला गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवाकर मीटर बदलवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अरूण उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा, मौके पर, विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 106 दिनांकित 04.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या– RD1F312151316, श्री कृष्णपाल पुत्र श्री जगपाल, आखेखेड़ी, पोस्ट मुण्डलाना, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 01 कि0वा0, दिनांक 14.01.2011 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1331 दिनांक 27.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित पुराना खराब विद्युत मीटर के सापेक्ष नया विद्युत मीटर, बदल दिया गया है। आरएपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से बीजक संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 32722.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः......02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर दिनांक 14.01.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.03.2023 तक एमयू आधार पर, दिनांक 01.09.2023 तथा दिनांक 03.10.2023 को एनआर आधार पर, दिनांक 15.11.2023 को एमयू आधार पर शून्य विद्युत खपत का, तद्पश्चात लगभग 05 माह बाद, दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 27.07.2024 तक, लगातार 08 बिलिंग चक्रों के लिए एनआर/आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, निर्धारित समयावधि पर बिल जारी न करते हुए तथा लगातार 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4/7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि पर वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 07.01.2022 से दिनांक 10.03.2023 तक, लगभग 14 माह की अवधि में कुल 1759 (2495–636) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 14 माह की अवधि में लगभग 126 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग तथा आंकलन के आधार पर विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, दिनांक 10.03.2023 से दिनांक 27.07.2024 तक, लगभग 16.56 माह की अवधि हेतु कुल 31569 यूनिट विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त 16.56 माह की अवधि हेतु, लगभग 1906 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 126 यूनिट प्रतिमा की तुलना में, लगभग 1412.70 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 106 दिनांक 04.01.2025 के माध्यम से परिवादी के बिल संशोधन के संबंध में प्रस्तुत गणना शीट के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, औसत विद्युत खपत की गणना सही रूप से की गई है परंतु सम्पूर्ण देय धनराशि पर कुल विलंबित अवधि के लिए विलंब अधिभार शुल्क आरोपित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 13.12.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 10.03.2023 से दिनांक 13.12.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–15057684 के सापेक्ष, एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के अनुसार, विलंब अधिभार शुल्क की गणना, वर्षवार करते हुए, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 13.12.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 10.03.2023 से दिनांक 13.12.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या–15057684 के सापेक्ष, एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के अनुसार, विलंब अधिभार शुल्क की गणना, वर्षवार करते हुए, संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/01/2025 | 30/01/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 232 / 2024 **दिनांक : 30.01.2025**

परिवादी :-श्री समीर खान केयर ऑफ श्री शराफत खान, ग्राम-पठानन, पोस्ट-लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री समीर खान केयर ऑफ स्व0 श्री शराफत खान, ग्राम-पठानन, पोस्ट-लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD21508150543 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनैक्शन उनके मरहूम भाई शराफत खान के नाम पर है। जिनका कोई बच्चा नहीं था और उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उनका मीटर सही चल रहा था, मगर बिल आईडीएफ में आ रहा था। जिसकी शिकायत उन्होंने विद्युत विभाग में की थी, मगर उनको बिना बताए उनका उक्त मीटर बदल दिया गया और उनको कोई कागज नहीं दिया। अब उनका बिल बहुत अधिक आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए जिससे वह उक्त कनैक्शन का सही बिल जमा कर उक्त कनैक्शन को कटवा सकें।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री समीर खान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर, विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस ज़ारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 110 दिनांकित 04.01.2025 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या- RD21508150543, श्री समीर खान केयर ऑफ स्व0 श्री शराफत खान, ग्राम-पठानन, पोस्ट-लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि0वा0, दिनांक 30.12.2007 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित पुराना विद्युत मीटर बदल कर दिनांक 08.05.2024

क्रमशः......02

को नया विद्युत मीटर स्थापित किया गया। उपभोक्ता बीजक, माह 04 / 2022 से माह 04 / 2024 तक पुराने मीटर की एफआर 19498 के आधार पर तथा माह 05 / 2024 से माह 11 / 2024 तक, नये मीटर की रीडिंग 10269 केडब्लूएच के अधार पर संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 10613.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 30.12.2007 को, श्री शराफत खान के नाम पर निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.06.2022 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 14.02.2024 तक, लगातार 07 बिलिंग चक्रों के लिए एनआर / आईडीएफ आधार पर, तद्पश्चात लगभग 04 माह बाद, दिनांक 11.06.2024 को एमसी एवं दिनांक 21.07.2024 को एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, निर्धारित समयावधि पर बिल जारी न करते हुए तथा लगातार 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2 / 4 / 7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि पर वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 12.04.2022 से दिनांक 08.05.2024 तक, लगभग 24.80 माह की अवधि में, कुल 154 (19498—19344) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 24.80 माह की अवधि में, लगभग 6.00 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.06.2022 से दिनांक 08.05.2024 तक, लगभग 23 माह की अवधि हेतु, कुल 8857 यूनिट विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 23 माह की अवधि हेतु, लगभग 158 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 6 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में 5866.67 प्रतिशत अधिक है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। इसी क्रम में विपक्षी विभागा द्वारा पत्रांक 110 दिनांक 04.01.2025 के माध्यम से प्रस्तुत संशोधित बिल की गणना शीट का अवलोकन किए जाने पर विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, संशोधित बिल की सम्पूर्ण देय धनराशि पर, कुल विलंबित अवधि हेतु विलंब अधिभार शुल्क की गणना की गई है जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, प्रस्तुत संशोधित बिल में दर्शायी गई विलंब अधिभार शुल्क की गणना वर्षवार करते हुए, परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत संशोधित बिल में दर्शायी गई विलंब अधिभार शुल्क की गणना वर्षवार करते हुए, परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/01/2025 30/01/2025

(संजय कुमार) (जी0 एस0 धर्मसत्तू) (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य तकनीकी सदस्य उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 233/2024 **दिनांक : 24.01.2025**

परिवादी :– श्री मुस्तकीम पुत्र स्व0 श्री महमूद, ग्राम–बुक्कनपुर, लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मुस्तकीम पुत्र स्व0 श्री महमूद, ग्राम–बुक्कनपुर, लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD9L196521351 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनैक्शन का विद्युत बिल, दिनांक 28.03.2018 को रू.13,000.00, मार्च तक जमा किया था। उसके बाद लॉकडाउन में कोई बिल नहीं आया। दिनांक 12.12.2022 को बिल रू. 95,693.00 आया था। अब जब बिल उन्होंने निकलवाया तो बिल रू. 2,36,479.00 का आया। वह एक किसान हैं। उनके पास 12 बीघा जमीन है। उनका कनैक्शन 2019 में विभाग द्वारा काट दिया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा, दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत, विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में, विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री मुस्तकीम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा, परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया गया। समय पर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु, मंच द्वारा, मौके पर ही, विपक्षी विभाग को, नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 109, दिनांकित 04.01.2025 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या–RD9L196521351, श्री महमूद पुत्र स्व0 श्री रफीक, ग्राम–बिझौली,, लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर, निजि नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच0पी0, दिनांक 17.12.2001 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक बकाया होने के कारण, संयोजन, अस्थायी तौर पर विच्छेदित चल रहा है। बीजक पिछली दो एमयू के आधार पर संशोधित किया गया है। उक्त विद्युत संयोजन की बीजक की धनराशि, संशोधित किये जाने के उपरान्त, रू0. 121645.00 है, जोकि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......03

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 10 एचपी विद्युत भार पर, दिनांक 17.12.2001 को, श्री महमूद के नाम पर निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.09.2012 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 12.10.2012 से दिनांक 07.02.2015 तक (दिनांक 16.01.2013 के अलावा) आईडीएफ, दिनांक 13.06.2015 से दिनांक 31.12.2016 तक एनआर, दिनांक 03.07.2017 को एमसी, दिनांक 06.01.2018 से दिनांक 01.01.2020 तक एमयू, दिनांक 15.01.2021 से दिनांक 28.12.2022 तक यूडीसी, दिनांक 24.12.2023 को एमयू तथा दिनांक 08.08.2024 को आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व की अवधि में निम्नानुसार, विभिन्न मीटर गतिमान रहे हैं:—

क. सं0	अवधि		मीटर संख्या	अंतिम मीटर रीडिंग	प्रतिस्थापन समय मीटर दशा
	से	तक			
1	17.12.2001	28.11.2012	यूपी0390	32970(दि0 12.09.2012)	आईडीएफ
2	28.11.2012	16.05.2017	316476	600(दि0 16.01.2013)	आईडीएफ
3	16.05.2017	03.03.2020	जी547438	32816(दि0 01.01.2020)	सही
4	03.03.2020	24.12.2023	8786963	32816(दि0 23.11.2020) 34318(दि0 16.01.2024) 37518(दि0 04.09.2024)	सही / गतिमान

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि मीटर संख्या—यूपी0390 (क.सं.—1) पर, दिनांक 09.12.2008 से दिनांक 12.09.2012 तक, लगभग 45 माह की अवधि में, कुल 17505 (32970—15465) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त लगभग 45 माह की अवधि में, लगभग 2334 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा मीटर संख्या—316476(क.सं.—2) के सापेक्ष, दिनांक 16.01.2023 को, मात्र एक बिल एमयू आधार पर जारी किया गया है तथा दिनांक 13.02.2013 से दिनांक 31.12.2016 तक, लगातार 28 बिलिंग चक्रों के लिए आईडीएफ / एनआर आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा लगातार 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार आईडीएफ / एनआर आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ(विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले)विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1(7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 28 बिलिंग चक्रों (दिनांक 28.11.2012 से दिनांक 16.05.2017 तक, लगभग 53.60 माह हेतु) के सापेक्ष कुल 36736 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त 53.60 माह की अवधि हेतु, लगभग 4112 यूनिट प्रति छमाही की दर से, विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 2334 यूनिट प्रति छमाही की तुलना में लगभग 76.18 प्रतिशत अधिक है। विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर संख्या—जी547438(क.सं.—3) पर, दिनांक 16.05.2017 से दिनांक 01.01.2020 तक, लगभग 31.50 माह की अवधि में कुल 32816 (32816—0) यूनिट की विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 31.50 माह की अवधि में लगभग 6251 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 2343 यूनिट छमाही

की तुलना में 167.82 प्रतिशत अधिक है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा, मीटर संख्या–8786963(क्र.सं.–4) के सापेक्ष, दिनांक 03.03.2020 से दिनांक 23.11.2020(अस्थायी विच्छेदन की तिथि) तक, लगभग 8.66 गाह की अवधि में कुल 32816 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा 8.66 ाह की अवधि में लगभग 22736 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 2334 यूनिट प्रति छमाही की तुलना में 874.12 प्रतिशत अधिक है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को दिनांक 23.11.2020 को मीटर रीडिंग–32816 पर, अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत विच्छेदित संयोजन को दिनांक 16.01.2024 को मीटर रीडिंग–34318 पर जोड़ने के उपरांत, पुनः दिनांक 04.09.2024 को मीटर रीडिंग–37518 पर अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 16.01.2024 से दिनांक 04.09.2024 तक, लगभग 7.60 माह की अवधि में कुल 3200 (37518–34318) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 7.60 माह की अवधि में, लगभग 2526 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 2334 यूनिट प्रति छमाही की तुलना में 8.22 प्रतिशत अधिक है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर मीटर संख्या–8786963(क्र.सं.–4), दिनांक 03.03.2020 से दिनांक 08.08.2024 तक, गतिमान रही है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को दिनांक 23.11.2020 को मीटर रीडिंग–32816 पर, अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है तथा उक्त संयोजन को मीटर रीडिंग 34318 पर दिनांक 16.01.2024 को जोड़ा गया है जिसे पुनः दिनांक 04.09.2024 को मीटर रीडिंग–37518 पर स्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। इससे पूर्व, परिवादी के संयोजन पर मीटर संख्या–जी547438, दिनांक 16.05.2017 से दिनांक 03.03.2020 तक गतिमान रही है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 01.01.2020 को परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या–जी547438 पर रीडिंग–32816 दर्ज पाई है अर्थात उक्त मीटर संख्या–जी547438 पर मीटर रीडिंग, दिनांक 01.01.2020 को 32816 दर्ज पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा मीटर संख्या–8786963(क्र.सं.–4) पर भी दिनांक 23.11.2020 (अस्थायी विच्छेदन की तिथि) को समान रीडिंग (32816 केडब्लूएच) का उल्लेख किया गया है जो कि औसत विद्युत खपत के सापेक्ष सही प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 12.10.2012 से दिनांक 03.07.2017 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 12.09.2012 से दिनांक 16.05.2017 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–यूपी0390(क्र. सं.–1) पर दर्ज औसत विद्युत खपत–2334 यूनिट प्रति छमाही की दर से, तथा दिनांक 16.05.2017 से दिनांक 04.09.2024 तक, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज कुल खपत–37518 यूनिट को औसत आधार पर विभाजित करते हुए संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 12.10.2012 से दिनांक 03.07.2017 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 12.09.2012 से दिनांक 16.05.2017 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–यूपी0390(क्र.सं.–1) पर दर्ज औसत विद्युत खपत–2334 यूनिट प्रति छमाही की दर से, तथा दिनांक 16.05.2017 से दिनांक 04.09.2024 तक, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर पर दर्ज कुल खपत–37518 यूनिट को औसत आधार पर विभाजित करते हुए संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों ...

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 238/2024 दिनांक : 31.01.2025

परिवादी :– श्री इकराम पुत्र स्व0 इस्लाम, लक्सर रोड़, जनता मार्बस टाईल्स शोरूम, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इकराम पुत्र स्व0 इस्लाम, लक्सर रोड़, जनता मार्बस टाईल्स शोरूम, लण्ढ़ौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा कथन किया गया है कि उनके द्वारा 29.10.2021 में नये कनेक्शन की रसीद एस्टीमेट की धनराशि सहित रू0 7000.00 की कटाई थी, लेकिन आज दिनांक तक भी विभाग द्वारा उनकी साईट पर पोल व लाईन नहीं डाली गई। अतः मंच से अनुरोध है कि पोल व लाईन लगवाने की कृपा करे।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री इकराम उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर जवाब हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 444 दिनांकित 16.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत पंजीकरण सं0 526300921008 के सापेक्ष विद्युत संयोजन संख्या RD61508207047, श्री इकराम पुत्र इस्लाम, लण्ढ़ौरा, तहसील रूड़की, हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतू, 01 कि0वा0, दिनांक 25.12.2021 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD61508207047 के सम्बन्ध में क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी, लण्ढ़ौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1464 दिनांक 15.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता परिसर पर ए0बी0 केबिल से लाइन निर्माण कर दिया गया है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का

क्रमशः......02

यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 25.12.2021 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, वर्तमान मे एमयू आधार पर बिल जारी किए गए जा रहे हैं। परिवादी के कथनानुसार, विपक्षी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार, विद्युत लाईन का निर्माण किए बिना ही, परिवादी को संयोजन निर्गत किया गया है। मंच द्वारा जारी नोटिस के संबंध में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 444 दिनांक 16.01.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परिवादी के परिसर पर विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक लाइन का निर्माण एबी केबल के माध्यम से करते हुए, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिसकी पुष्टि मंच द्वारा, दूरभाष पर परिवादी से वार्ता करते हुए, की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के परिसर तक विद्युत आपूर्ति हेतु वांक्षित विद्युत लाइन का निर्माण करते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	31/01/2025	31/01/2025
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 273/2024 दिनांक : 08.01.2025

परिवादी :– श्री राजपाल पुत्र श्री शोभाराम, निवासी–खतौनी नं0–103, हक्कीमपुर तुर्रा, पोस्ट–हाल्लू माजरा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री राजपाल पुत्र श्री शोभाराम, निवासी–हक्कीमपुर तुर्रा, पोस्ट–हाल्लू माजरा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–689बीकेएल09712205, भार 10 एच0पी0, सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका यह कनेक्शन 10 साल पुराना है, जिसका बिल सही समय से जमा करते आ रहे हैं। उनका बिल दिनांक 31.05.2022 से दिनांक 31.05.2023 तक यूनिट 1217 एवं राशि रू0 8,132.00 आया था जो कि उन्होंने जमा कर दिया था। लेकिन दिनांक 31.05.2023 से दिनांक 30.11.2023 तक यूनिट 13123 एवं राशि रू0. 39,386.00 आया है जो गलत है जिसको ठीक कराने के लिये वह एस0डी0ओ0 साहब एवं जे0ई0 महोदय से भी मिले, लेकिन उनके बिल को सही करने का कोई उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया। अतः उनके विद्युत बिल की यूनिटों को सही करके विद्युत बिल सही किया जाये और उनके कनेक्शन पर 15 दिन से विद्युत नहीं आ रही है जिस कारण उनकी फसल सूख रही है जिसके चलते उनका बहुत नुकसान हो रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त विद्युत बिल को सही करवाया जाए एवं बन्द कनेक्शन को चालू करवाया जाये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक संख्या 5449 दिनांकित 05.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित पुराना मीटर सं018256963 खराब होने के कारण, परिसर पर दिनांक 18.03.2022 को नया मीटर सं0 9157778 स्थापित किया गया साथ ही उपभोक्ता के संयोजन की बिलिंग सारणी का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उपभोग असामान्य प्रदर्शित हो रहा है तथा नये मीटर का 1 वर्ष का औसतन उपभोग लगभग 15000 है। अतः यदि उपभोक्ता को संयोजन के विद्युत बिल अधिक प्रतीत हो रहे है तो उपभोक्ता अपने परिसर पर चैक मीटर स्थापित करने हेतु अनुरोध कर सकता है। तदनुसार बिल संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अनुक्रम में अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक संख्या 6562 दिनांकित 20.12.2024 द्वारा अवगत कराया है कि माननीय फोरम के आदेश 19.11.2024 के अनुपालन में उपभोक्ता के निजि नलकूप संयोजन संख्या

क्रमशः......02

689बीकेएल09712205 पर दिनांक 05.12.2024 को चैक मीटर स्थापित कर दिया गया था। जिसको दिनांक 16.12.2024 को फाईनल किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय फोरम के संज्ञान में लाना है कि वर्तमान में उपभोक्ता के निजि नलकूप पर स्थापित मापक संख्या 9157778 दिनांक 18.08.2022 को स्थापित किया गया था। चूंकि अब चैक मापक स्थापित करने के उपरान्त यह सिद्ध होता है कि मापक संख्या 9157778 सही कार्य कर रहा है। अतः मापक की स्थापना दिनांक 18.08.2022 से वर्तमान 16.12.2024 तक कुल खपत 33188.64 के आधार पर विद्युत की गणना कर बीजक को संशोधित कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री राजपाल को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अश्वनी कुमार सिंह उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 10 एचपी विद्युत भार पर, दिनांक 29.05.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, वर्तमान में, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या–18256963 के दोषपूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 18.08.2022 को मीटर संख्या–9157778 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त मीटर संख्या–9157778 पर, दिनांक 18.08.2022 से दिनांक 29.06.2024 तक, लगभग 22.36 माह की अवधि में, कुल 24758 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज पाई गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 22.36 माह की अवधि में लगभग 1107 यूनिट प्रति माह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। परिवादी द्वारा, दिनांक 23.12.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत–13123 यूनिट को, पूर्व में जारी बिलों की तुलना में अत्यधिक बताते हुए उक्त बिल को विवादित ठहराया गया है। इसी क्रम में मंच द्वारा, विपक्षी विभाग को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए ताकि प्रश्नगत मीटर संख्या–9157778 की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। मंच के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, दिनांक 05.12.2024 को चैक मीटर संख्या–जी7904602 स्थापित किया गया। उक्त चैक मीटर की एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 05.12.2024 से दिनांक 15.12.2024 तक की अवधि में कुल 241.31 यूनिट की विद्युत खपत उक्त चैक मीटर संख्या–जी7904602 पर दर्ज पाई गई। साथ ही प्रश्नगत मैन मीटर संख्या–9157778 पर उक्त समान अवधि में कुल 243.40 (33188.48–32945.08) यूनिट की विद्युत खपत की गई है जो कि चैक मीटर में दर्ज विद्युत खपत 241.31 यूनिट के लगभग समान है। अर्थात परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–9157778 पर दर्ज विद्युत खपत, परिवादी द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत है जिसकी पुष्टि एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज मीटर रीडिंग से भी होती है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.12.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत/रीडिंग सही प्रतीत होती है। पत्रावली में उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा, प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष स्वीकृत भार–10.00 एचपी भार के विरूद्ध लगभग 20.00 एचपी (14.44 किलोवाट) विद्युत भार का उपभोग किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–9157778 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आण्धार पर बिल जारी किए जा रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/01/2025 08/01/2025

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 281/2024 **दिनांक : 10.01.2025**

परिवादी :– श्रीमती शमा बानों पत्नी मौ0 श्री वैश आलम, निवासी–मौहल्ला अहबाब नगर, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती शमा बानों पत्नी मौ0 श्री वैश आलम, निवासी–मौहल्ला अहबाब नगर, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू40740083364 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल नियमित रूप से वास्तविक रीडिंग के हिसाब से नहीं आ रहा है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करते हुए विद्युत बिल ठीक कराया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः मंच से अनुरोध है कि उपरोक्त विद्युत कनैक्शन के बिल को ठीक करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 5709 दिनांकित 09.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, ज्वालापुर–द्वितीय द्वारा, दिनांक 29.11.2024 को उपभोक्ता श्रीमति शमा बानों पत्नी मौ0 वैश आलम, अहवाब नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार के परिसर पर विद्युत चैकिंग (चैकिंग संख्या 293/06) की गयी। जिसमें उपभोक्ता का पुराना मीटर सील किया गया तथा नया विद्युत मीटर (मीटर संख्या जीयू154524) दिनांक 29.11.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित किया गया, जिसकी सिलिंग संख्या 02/2115। अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय पत्रांक 5513 दिनांक 04.12.2024 के माध्यम से श्रीमति शमा बानों पत्नी मौ0 वैश आलम, संयोजन संख्या–जेडब्लू40740083364 के सापेक्ष पूर्व में स्थापित मीटर संख्या 026471 की टेस्टिंग दिनांक 09.12.2024 को उपभोक्ता के सम्मुख करने हेतु सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर, हरिद्वार को पत्र प्रेषित किया गया। संयोंजन संख्या–जेडब्लू40740083364 के सापेक्ष पूर्व में स्थापित मीटर संख्या 026471 की टेस्टिंग दिनांक 09.12.2024 को विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर द्वारा की गयी तथा परीक्षणशाला द्वारा टेस्टिंग में अवगत कराया गया है कि मीटर 026471, 3280 आईएमपी/केडब्लूएच को लोड पर चैक किया गया। लोड 1.85 केडब्लू लगभग, टी0टी0 वॉल्टेज 231 वी0, करन्ट 7.99 ए पर मीटर डिस्प्ले में वॉल्टेज और करन्ट शून्य है। मीटर को तोडकर चैक करने पर मीटर पीसीबी पर अनियमितता का कोई साक्ष्य नही मिला। मीटर पीसीबी कारबोनाईज्ड पायी गयी, जिसके कारण मीटर डिस्प्ले शून्य पाठयांक एवं रीडिंग जैम दिखा रहा है।

क्रमशः......02

मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती शमा बानों को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस0के0 गौतम उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 06.05.2005 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 17.09.2023 तक एमयू आधार पर विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 19.11.2023 को एमयू आधार पर शून्य खपत, दिनांक 30.12.2023 को एनआर आधार पर, दिनांक 18.03.2024 को एमयू आधार पर शून्य खपत तथा दिनांक 02.08.2024 तथा दिनांक 31.10.2024 को एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—026471 के दोषपूर्ण हो जाने पर, दिनांक 29.11.2024 को मीटर संख्या—जीयू154524 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादिनी के परिसर पर पूर्व में स्थापित उक्त मीटर संख्या—026471 की जांच परीक्षणशाला में दिनांक 09.12.2024 को की गई है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। मात्र पीसीबी कार्बनाइज्ड पाए जाने के कारण मीटर डिस्प्ले शून्य पाठयांक एवं रीडिंग जाम पाई गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 17.09.2023 के पश्चात परिवादिनी को विद्युत खपत के बिल जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार अंतरिम बिल जारी किए जाने तथा निर्धारित बिलिंग चक्रों में बिल निर्गत न किए जाने के परिणामस्वरूप, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4/7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर निर्धारित बिलिंग चक्रों के अनुसार बिल जारी किए जा सकें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को दिनांक 17.09.2023 से दिनांक 29.11.2024 तक की अवधि हेतु नियमानुसार विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए तथा दिनांक 29.11.2024 के पश्चात, परिवादिनी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—जीयू154524 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 17.09.2023 से दिनांक 29.11.2024 तक की अवधि हेतु नियमानुसार विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए तथा दिनांक 29.11.2024 के पश्चात, परिवादिनी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—जीयू154524 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	10/01/2025	10/01/2025
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 282/2024 दिनांक : 10.01.2025

परिवादी :– श्रीमति शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह, निवासी–199/34, निकट प्रथम गली, डिग्री कॉलेज रोड़, गोविन्दपुरी, हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमति शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री हरी सिंह, निवासी–199/34, निकट प्रथम गली, डिग्री कॉलेज रोड़, गोविन्दपुरी, हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–6920622006662, भार 02 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति में 1/2(एक बटा दो) भाग के मालिक वादनी के पति स्व0 श्री हरी सिंह चले आते हैं। जिनकी मृत्यु दिनांक 21.11.2018 को हो चुकी है तथा वादनी व वादनी का पुत्र गैर फरीक मुकदमा अजय कुमार, संजय कुमार व पुत्री रश्मिका अपने पति की विधिक उत्तराधिकारी चले आते हैं तथा वादनी के पुत्रों को प्रश्नगत सम्पत्ति की बाबत कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं चली आती है। अपनी सम्पत्ति पर 04 कि0वा0 का एक विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु एक आवेदन वादनी द्वारा दिनांक 09.05.2019 को समस्त औपचारिकतायें पूरी करते हुए किया गया था। वादनी के पति स्व0 श्री हरी सिंह के नाम एक विद्युत कनेक्शन सं0 6920622006663 वर्ष 1970 से लगातार चला आता है तथा वादनी के पति द्वारा एक अन्य कनेक्शन जिसकी कनेक्शन सं0 6920622130844 भी अपने जीवनकाल में लिया गया था, जिसमें से उनके द्वारा वर्तमान में कनेक्शन सं0 6920622130844 को समस्त देय धनराशि अदा करते हुए स्थायी रूप से विच्छेदित करा लिया गया है। वादनी द्वारा दाखिल समस्त दस्तावेजों व वादग्रस्त सम्पत्ति का मुआयना करने के उपरान्त ही विद्युत विभाग द्वारा वादनी को सिक्योरिटी जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर वादनी द्वारा दिनांक 22.05.2019 को सिक्योरिटी डिपोजिट मु0 रू0 1900 व सर्विस लाईन चार्ज रू0 600 कुल रू0 2200 जमा कराकर रसीद उपखण्ड अधिकारी, मायापुर के यहां से प्राप्त कर ली गयी थी। सिक्योरिटी की धनराशि मु0 2200 रू0. जमा कराने के उपरान्त वादनी को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन सं0 6920622780404 तथा खाता सं0 41900636286 प्रदान की गयी थी तथा वादनी निरन्तर उक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा उपभोग की गयी विद्युत का विद्युत बिल निरन्तर विपक्षीगण को जमा करती चली आ रही है। वादनी के पति के नाम एक कनेक्शन सं0

क्रमशः......02

6920622006662 दो कि0वा0 का लगभग वर्ष 1970 से ही चला आता है तथा आज तक निरन्तर चला आ रहा है जिसके बिलों का नियमित भुगतान वादनी द्वारा किया जा रहा है तथा विद्युत विभाग का कोई बकाया वादनी की ओर नहीं चला आता है। वादनी द्वारा प्रश्नगत विद्युत कनेक्शन विद्युत आपूर्ति संहिता 2020 के अन्तर्गत जारी किया गया है तथा वादनी द्वारा समस्त दस्तावेज, उक्त संहिता के अन्तर्गत ही जमा किये गये थे तथा उक्त संहिता के अन्तर्गत समस्त दस्तावेजों की जांच के उपरान्त विद्युत कनेक्शन वादनी को विद्युत विभाग द्वारा जारी किया गया है। वादनी द्वारा निरन्तर विद्युत बिलों का भुगतान किया जाता रहा है। वादनी के ऊपर आज तिथि तक कोई विद्युत बिल बकाया नहीं चला आता है। वादनी निरन्तर समय सीमा के अन्दर विद्युत बिलों का भुगतान करती चली आती है। वादनी को विद्युत विभाग का एक पत्र दिनांक 16.12.2022 को प्राप्त हुआ जिसमे कथन किया गया कि दो दिन के अन्दर महेन्द्र सिंह का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित करे अन्यथा की स्थिति में विद्युत संयोजन संख्या निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। वादनी के पति स्व0 हरी सिंह प्रश्नगत सम्पत्ति में 1/2 भाग के मालिक चले आते हैं तथा वादनी उनकी विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते 1/2 भाग में हरी सिंह के स्थान पर विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादनी द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करते समय समस्त विधिक दस्तावेज विद्युत विभाग को दिये गये थे तथा इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड 2020 के अन्तर्गत नये कनेक्शन लिये जाने हेतु जिन समस्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वह समस्त दस्तावेज विद्युत विभाग को उपलब्ध कराये गये थे तथा विद्युत विभाग द्वारा समस्त दस्तावेजों का सत्यापन तथा प्रश्नगत सम्पत्ति जिस पर उक्त विद्युत कनेक्शन लिया गया है, का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड 2020 के अन्तर्गत वादनी के नाम विद्युत कनेक्शन नियमानुसार जारी किया गया था। जिसका उपयोग व उपभोग वादनी आज की तिथि तक करती चली आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना वादनी का मौलिक अधिकार है तथा उसी के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन वादनी को जारी किया गया है। उक्त दोनों कनेक्शन में से किसी भी कनेक्शन का विद्युत बकाया वादनी या मृतक श्री हरी सिंह अथवा उनके विधिक अधिकारियों पर विद्युत विभाग का बकाया नहीं चला आता है। वादनी के पति के भाई महेन्द्र सिंह की पुत्री कोमल चौधरी विद्युत विभाग में उपखण्ड अधिकारी के रूप में ऊर्जा भवन में तैनात चली आती है जिसके दबाव में आकर विद्युत विभाग जबरन विद्युत कनेक्शंन को विच्छेदित करने पर उतारू है। यदि वादनी के पति के भाई श्री महेन्द्र सिंह का प्रश्नगत सम्पत्ति में कोई भाग है तो वह उसे नियमानुसार सिविल न्यायालय से बंटवारे के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं परन्तु गैर फरीक मुकदमा महेन्द्र सिंह द्वारा अपनी पुत्री के माध्यम से विद्युत विभाग से नाजायज दबाव, वादनी पर बनाया जा रहा है तथा विद्युत विभाग जबरन उक्त तीनों विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने पर उतारू है। नोटिस दिनांकित 16.12.2022 का उत्तर वादनी द्वारा अपने अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गुप्ता से दिनांक 06.01.2023 को दिलवाया गया था। परन्तु उक्त नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 24.07.2023 को पुनः एक नोटिस विद्युत विभाग द्वारा प्रेषित किया गया है तथा विद्युत कनेक्शन निरस्त किये जाने की धमकी निरन्तर मौखिक व नोटिस द्वारा दी जा रही है। वादनी द्वारा विद्युत विभाग को हर संभव मौखिक व नोटिस का उत्तर देकर समझाने का प्रयास किया कि वह वादनी के विद्युत कनेक्शन संख्या 6920622780404 व कनेक्शन संख्या 6920622006662 में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे और न ही वादनी के विधिक विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने हेतु विधि विरूद्ध रूप से कोई कार्यवाही अमल में लाये परन्तु विद्युत विभाग कोई सुनवाई करने को तैयार नही है तथा विभाग के एक उपखण्ड अधिकारी के दवाब में वादनी के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने पर आमादा है तथा कोई सुनवाई बैरून अदालत करने को तैयार नही था जिस कारण वादनी द्वारा एक वाद माननीय सिविल न्यायालय

क्रमशः......03

हरिद्वार में 375 सन् 2023 योजित किया गया था, जो कि दिनांक 26.09.2024 को खारिज हो गया है, क्योंकि वादनी वृद्ध महिला है और निरन्तर तिथियों पर आने जाने में असमर्थ है जैसे ही उक्त वाद की जानकारी विद्युत विभाग को लगी वह तुरन्त वादनी का कनेक्शन काटने आ गये जबकि इलैक्ट्रिसिटि सप्लाई कोड 2020 के अंतर्गत कोई अधिकार उक्त कनेक्शन को विच्छेदित किय जाने का विद्युत विभाग को प्राप्त नहीं चला आता है। प्रश्नगत सम्पत्ति माननीय मंच के क्षेत्राधिकार में होने के कारण माननीय मंच को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार चला आता है। अतः वादनी का मंच से अनुरोध है कि उसके उक्त दोनो कनेक्शनों को विधि विरूद्ध रूप से विच्छेदित करने से रोकने एवं दौरान सुनवाई विपक्षी विभाग को वादनी के दोनों उक्त विद्युत कनेक्शनों को काटे जाने से रोके जाने के आदेश पारित किये जाये तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने पदिय कर्तव्यों के विरूद्ध जाकर वादनी का आर्थिक, मानसिक शोषण किये जाने के लिए दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये जाये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 3106 दिनांकित 02.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि वादनी द्वारा एक वाद मा0 न्यायालय सिविल जज जे0डी0 हरिद्वार में दायर किया गया था। जिसकी मूलवाद सं0 375/2023 कम्प्यूटर सं0 374/2023 में विभाग को प्रतिवादी बनाया गया। जिसका निर्णय वादनी की अनुपस्थिति में दिनांक 26.09.2024 को खारिज कर दिया गया। उक्त वाद उपरोक्त सम्पत्ति पर लगे विद्युत संयोजनो से सम्बन्धित था। उपरोक्त सम्पत्ति श्री हरि सिंह व श्री महेन्द्र पुत्र जगराम निवासी बेलड़ा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर है। श्री महेन्द्र द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति प्रार्थिनी एवं उनके पति द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करने पर उपखण्ड कार्यालय मायापुर, औ0क्षे0 द्वारा दो विद्युत संयोजन सं0 696022130844 श्री हरि सिंह पुत्र श्री जगराम व 6920622780404 श्रीमति शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री हरि सिंह के नाम जारी किये गये। उक्त विद्युत संयोजनो को उपरोक्त सम्पत्ति पर श्री महेन्द्र, निवासी बेलड़ा, रूड़की, हरिद्वार को जानकारी प्राप्त होने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने से सम्बधित दस्तावेज चाहे गये। उपरोक्त दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र, निवासी बेलड़ा, रूड़की, हरिद्वार किये गये। जिसमे उनके संज्ञान में आया कि उपरोक्त सम्पत्ति पर बिना सहमति के झूठा शपथ पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में संलग्न कर विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने पर आपत्ति पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के अनुक्रम में उपखण्ड कार्यालय को इस खण्ड कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें की गयी आपत्ति, किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय द्वारा एक नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस के अनुपालन में समय की मांग की गयी परन्तु उपरोक्त अवधि में उनके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक रजिस्टर्ड नोटिस नोटिस उपखण्ड कार्यालय में प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस का संज्ञान लेते हुए इस खण्ड के अन्तर्गत पैनल अधिवक्ता श्री नितिन कुमार गर्ग द्वारा उक्त नोटिस के विरूद्ध जवाब प्रेषित किया गया। उक्त में उनके द्वारा उपरोक्त नोटिस का जवाब ना देकर एवं ना ही उपरोक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित सहमति शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया तथा उक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय सिविल जज जे0डी0 हरिद्वार में उपरोक्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वाद दायर किया गया। जिसमें उपरोक्त सम्पत्ति पर लगे दो नये विद्युत संयोजन एवं पूर्व विद्युत संयोजन सं0 6920622006662 के विरूद्ध वाद दायर किया गया जिसमें विभाग को प्रतिवादी बनाया गया। उक्त वाद में पैनल अधिवक्ता द्वारा सभी तथ्यों को उजागर करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष जवाब दावा/आपत्ति बरखिलाफ प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र दाखिल किया गया। जिसकी पूर्ण जानकारी उनके अधिवक्ता के माध्यम से अधिवक्ता के व्यवाहारी को होने के कारण एवं आवेदन पत्र में लगाये गये झूठे शपथ पत्र जालसाजी करने पर मा0 न्यायालय द्वारा कठोर कार्यवाही किये जाने के विरूद्ध शायद वादी द्वारा अधिवक्ता के आग्रह पर उपरोक्त तिथियों पर वादनी तथा वादनी के अधिवक्ता अनुपस्थित चले आते रहे

जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित चले आते थे। मा0 न्यायालय द्वारा कई तिथियों से अनुपस्थित रहने के कारण वादी का वाद दिनांक 26.09.2024 को खारिज किया गया। उपरोक्त सभी तथ्यों से शिकायतकर्ता वादनी को पूर्ण जानकारी चली आती है। मा0 न्यायालय में वाद उपरोक्त विद्युत संयोजनों को विच्छेदन ना किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया था तथा विभाग को सहमति शपथ पत्र उपलब्ध ना कराने के विरूद्ध विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही वाद खारिज होने के उपरान्त की गयी थी।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्रीमति प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी के प्रश्नगत परिसर पर, संयोजन संख्या—6920622780404, 04 किलोवाट विद्युत भार पर, श्रीमती शांति देवी के नाम पर दिनांक 24.05.2019 से गतिमान है। संयोजन संख्या—692062200662, 02 किलोवाट विद्युत भार पर, श्री हरि सिंह के नाम पर दिनांक 05.06.1976 से गतिमान है। संयोजन संख्या—69220622130844, 10 किलोवाट भार पर श्री हरि सिंह के नाम पर, दिनांक 26.08.2017 से गतिमान है। प्रश्नगत परिसर के सह—स्वामित्व के कथनानुसार संयोजन संख्या—6920622780404 तथा 6960622130844 के सापेक्ष उनके नाम से प्रस्तुत किए गए अनापत्ति (शपथ) पत्र पूर्णतः फर्जी है। श्री आशुतोष सोती (नोटरी, हरिद्वार) द्वारा भी पुष्टि की गई है कि प्रश्नगत शपथ पत्र उनके द्वारा सत्यापित नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि प्रश्नगत परिसर का स्वामित्व श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री हरि सिंह के नाम है। श्री महेन्द्र सिंह द्वारा, पत्रांक शून्य दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से स्वीकार किया गया है कि वह उक्त प्रश्नगत परिसर का सह—स्वामित्व रखते हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि उक्त परिसर पर वर्तमान में स्व0 श्री हरि सिंह की पत्नी परिवादिनी श्रीमती शांति देवी काबिज चली आ रही है तथा उनके द्वारा उक्त परिसर पर संयोजित विद्युत संयोजन संख्या—6920622780404, 692062200662 एवं 69220622130844 के माध्यम से विद्युत सुविधा का उपभोग किया जा रहा है। प्रश्नगत परिसर पर सभी स्वामित्वधारियों द्वारा विद्युत जैसी मूलभूत सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है तथा प्रश्नगत परिसर पर, स्पष्ट रूप से, सक्षम स्तर से हिस्सेदारी तय हो जाने के उपरांत प्रत्येक हिस्सेदार के लिए विद्युत संयोजन के संबंध में परिभाषित परिसर का निर्धारण किया जा सकता है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत परिसर पर निर्गत संयोजन, परिसर के सह—स्वामित्व को दिया गया है तथा उक्त संयोजनों के सापेक्ष प्रस्तुत अनापत्ति/शपथ पत्र के फर्जी होने के आधार पर, परिवादिनी के उक्त संयोजनों को विच्छेदित कर, मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जाना कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 16.12.2022 एवं 24.07.2023 को जारी पत्र/नोटिस के आधार पर, परिवादिनी के परिसर पर गतिमान किसी भी संयोजनों को विच्छेदित न करते हुए, प्रश्नगत परिसर पर काबिज चली आ रही परिवादिनी को विद्युत जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह जब तक किसी सक्षम स्तर से प्रश्नगत परिसर में सह—स्वामित्वधारियों की हिस्सेदारी तय न हो जाए तब तक वह प्रश्नगत परिसर पर काबिज चली आ रही परिवादिनी श्रीमती शांति देवी के नाम पर निर्गत विद्युत संयोजनों को विच्छेदित न करते हुए विद्युत सुविधा जारी रखे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	10/01/2025	10/01/2025
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 285/2024 **दिनांक : 10.01.2025**

परिवादी :– मै0 इनक्रेडिबल इण्डस्ट्रीज वास्ते श्री हर्ष अग्रवाल, खसरा नं0 226, लाकेसारी, भगवानपुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 इनक्रेडिबल इण्डस्ट्रीज वास्ते श्री हर्ष अग्रवाल, खसरा नं0 226, लाकेसारी, भगवानपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–बी.एच.0के.000210255, भार 75 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा स्थाई विच्छेदन के लिए आवेदन किया गया तथा दिनांक 09.08.2024 को रशीद सं0 34600908245050002 द्वारा वांछित शुल्क का भुगतान कर दिया गया था। नियामक आयोग के विनियमों के अनुसार, जो कि संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है, स्थाई विच्छेदन की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए था। जिसके अनुसार मीटर की विशेष रीडिंग निर्धारित समय पर ली जानी चाहिए तथा रीडिंग के आधार पर अंतिम बिल बनाकर मीटर/कनेक्शन का विच्छेदन और विच्छेदन के 30 दिनों के भीतर सिक्योरिटी राशि को वापस किया जाना चाहिए था। लेकिन विपक्षी विभाग द्वारा यू0ई0आर0सी0, आपूर्ति संहिता 2020 के अनुसार इन चरणों का पालन नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी जमा सिक्योरिटी दिलवाने एवं यू0ई0आर0सी0 (एस0ओ0पी0 2022) के अंतर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुसार, यूपीसीएल से क्षतिपूर्ति भी दिलवाने की कृपा करें।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 7509 दिनांकित 09.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता मै0 इनक्रेडिबल इण्डस्ट्रिज (श्री हर्ष अग्रवाल) खसरा नं0–226, ग्राम लकेश्वरी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार विद्युत संयोजन संख्या–बी.एच.0के.000210255 (स्वीकृत भार 75 कि0वा0) दिनांक 31.01.2022 से औद्योगिक विद्या में उर्जीकृत है। जिसकी पुष्टि उपभोक्ता के खाता विवरण से भी होती है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रश्नगत विद्युत संयोजन संख्या–बी.एच.0के. 000210255 को स्थाई विच्छेदन हेतु दिनांक 09.08.2024 को निर्धारित शुल्क रू0 708.00 जमा किये गये। खण्ड कार्यालय पत्रांक 3549 दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से विद्युत परीक्षण खण्ड रूड़की को उक्त संयोजन संख्या–बी.एच.0के.000210255 पर स्थापित मीटर को उतारकर स्थाई विच्छेदन हेतु अवगत कराया गया। सहायक अभियन्ता, (मीटर) विद्युत परीक्षणशाला भगवानपुर द्वारा अपने पत्रांक 132 दिनांक

क्रमशः......02

11.09.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि सीलिंग प्रमाण संख्या 38 / 36 दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर उतारकर संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है। उक्त संयोजन संख्या–बी.एच.0के.000210255 के सापेक्ष जमा प्रतिभूति धनराशि को समायोजित करते हुये स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञापन संख्या 50512240001 दिनांक 05.12.2024 निर्गत किया गया। उक्त संयोजन के सापेक्ष जमा शेष प्रतिभूति राशि रू0. 75875.00 को उपभोक्ता को भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये शीघ्र ही उपभोक्ता को निर्गत कर दी जायेगी।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री मोहम्मद उस्मान उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 75 किलोवाट विद्युत भार पर, दिनांक 31.01.2022 को निर्गत किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 05.08.2024 को, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–एलटी18304151 पर दर्ज मीटर रीडिंग–10616 केवीएएच के सापेक्ष रू0 20151.00 की धनराशि का बिल जारी किया गया है। जिसका भुगतान परिवादी द्वारा रसीद संख्या–13524080824डब्लूएस00124 के माध्यम से दिनांक 08.08.2024 को किया गया है। परिवादी द्वारा प्रश्नगत उक्त विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने हेतु, आवश्यक शुल्क रू0 708.00 का भुगतान, रसीद संख्या–3486009082405050002 के माध्यम से दिनांक 09.08.2024 को किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 05.09.2024 को, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–एलटी1834151 को हटाते हुए, प्रश्नगत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–50512240001 दिनांक 05.12.2024 के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन को दिनांक 14.10.2024 को स्थायी रूप से विच्छेदित किया जाना दर्शाया गया है जो कि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या–38 / 36 दिनांक 05.09.2024 के सापेक्ष सही प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि परिवादी के प्रश्नगतगत संयोजन को दिनांक 05.09.2024 को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के उपरांत, दिनांक 14.10.2024 तक की अवधि के सापेक्ष विद्युत देय (फिक्स चार्ज आदि) परिवादी से वसूला जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–एलटी18304151 पर, दिनांक 05.09.2024 को मीटर रीडिंग–10643 केवीएएच दर्ज पाई गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 05.08.2024 से दिनांक 05.09.2024 तक, लगभग एक माह की अवधि में कुल 624 ((10643–10616) 24) की विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि गत चार महिनों में दर्ज विद्युत खपत के लगभग अनुरूप है। उक्त से विदित होता है कि संभवतः परिवादी द्वारा दिनांक 05.09.2024 तक विद्युत का उपभोग किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 05.09.2024 के उपरांत किसी भी प्रकार के देयकों का, परिवादी से वसूला जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–50512240001 दिनांक 05.12.2024 में दर्शायी गई स्थायी विच्छेदन की तिथि–14.10.2024 के स्थान पर दिनांक 05.09.2024 मानते हुए, दिनांक 05.09.2024 तक देय विद्युत बिल की धनराशि का समायोजन परिवादी द्वारा जमा प्रतिपूर्ति धनराशि से किए जाने तथा शेष प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान परिवादी को किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही शेष प्रतिपूर्ति धनराशि को स्थायी विच्छेदन की तिथि से 30 दिन के अंतर्गत भुगतान न किए जाने की दशा में विलंबित अवधि के सापेक्ष मा0 उत्तराखण्ड

क्रमशः......03

विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 के अंतर्गत बिंदु 792 (3) के अनुसार क्षतिपूर्ति परिवादी को भुगतान किए जाने की भी आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–50512240001 दिनांक 05.12.2024 में दर्शायी गई स्थायी विच्छेदन की तिथि–14.10.2024 के स्थान पर दिनांक 05.09.2024 मानते हुए, दिनांक 05.09.2024 तक देय विद्युत बिल की धनराशि का समायोजन परिवादी द्वारा जमा प्रतिपूर्ति धनराशि से की जाए तथा शेष प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान परिवादी को करते हुए शेष प्रतिपूर्ति धनराशि को स्थायी विच्छेदन की तिथि से 30 दिन के अंतर्गत भुगतान न किए जाने की दशा में विलंबित अवधि के सापेक्ष मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 के अंतर्गत बिंदु 792 (3) के अनुसार क्षतिपूर्ति परिवादी को भुगतान करे । विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	10/01/2025 (जी0 एस0 धर्मसत्तू)	10/01/2025 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 287/2024 दिनांक : 16.01.2025

परिवादी :– श्री सगीर अहमद पुत्र श्री हमीद, पता–सराय ज्वालापुर, ज्वालापुर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य–परिवादी श्री सगीर अहमद पुत्र श्री हमीद, पता–सराय ज्वालापुर, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा कागज स0–1 मय संलग्नक कागज स0–2,3 प्रस्तुत कर विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू11229123884 भार 02 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह अपना विद्युत बिल समय से भरता चला आ रहा है। उसके पश्चात उसके पास जो बिल प्राप्त हुआ है। वो गलत आ रहा है। जिसमे पुराना बकाया भी जोड़ा जा रहा है। जबकि उसका पिछला कोई बकाया नही है। पुराने बकाया जो बिल मे जोड़ा जा रहा है उसे वह देने मे असमर्थ है। अतः मंच से अनुरोध है कि संयोजन का बिल सही करवा दिया जाये एवं उसका बिल समीर अहमद के नाम से आ रहा है जबकि उसका नाम सगीर अहमद है यह भी संशोधित करवा दिया जाए।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी विभाग ने अपने जवाब में कागज स0–6 (पत्रांक संख्या 5913 दिनांकित 18.12.2024) मय संलग्नक कागज स0–15 प्रस्तुत कर कथन किया कि संयोजन संख्या जेडब्लू11229123884 नामें श्री समीर अहमद पुत्र श्री हमीद के नाम से घरेलू विद्या, विद्युत भार 02 कि0वा0 में चला आता है। श्री सगीर अहमद पुत्र श्री हमीद पता सराय ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा माननीय मंच के समक्ष प्रेषित प्रार्थना पत्र में पुराना बकाया जोडने व बिल सही करने हेतु अनुरोध करने के सापेक्ष आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता के परिसर पर सतर्कता दल द्वारा दिनांक 10.05.2024 को की गयी विद्युत चैकिंग में उपभोक्ता द्वारा सर्विस केबिल के अतिरिक्त एल0टी0 लाईन पर एक अवैध अतिरिक्त केबिल डालकर 0.659 कि0वा0 की विद्युत चोरी करता पाया गया था। जिसकी चैकिंग

क्रमशः......02

रिपोर्ट संख्या 31572 दिनांक 10.05.2023 है। तथा श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री सगीर अहमद, निवासी—सराय, इमामबाडा, थाना—ज्वालापुर, हरिद्वार को चैकिंग के विरूद्ध धन निर्धारण की बाबत एक पत्र पत्रांक 2230 दिनांक 17.05.2023 प्रेषित किया गया था तथा श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री सगीर अहमद को अवगत कराया गया था कि भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 व उत्तराखण्ड विद्युत नियम आयोग (द सप्लाई कोड) रेगूलेशन के अन्तर्गत विद्युत निर्धारण 15,707.00 रू0. प्रस्तावित है तथा श्री अब्दुल कादिर को यह भी अवगत कराया गया था कि यदि श्री अब्दुल कादिर उक्त चैकिंग के विरूद्ध धन निर्धारण के विरूद्ध कोई अपील की जानी है तो अपील की सुनवाई हेतु माननीय जिलाधिकारी प्राधिकृत अधिकारी है जिनके यहां पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अन्तर्गत अपील की जा सकती है। उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, जगजीतपुर द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 434 दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता के संयोजन संख्या जेडब्लू11229123884 नामें श्री मौहम्मद समीर अहमद पुत्र मौहम्मद हमीद, ग्राम सराय जगजीतपुर हरिद्वार जिसमें उपभोक्ता के विद्युत बिल में पहले का कोई भी बिल बकाया नही है और न ही उपभोक्ता का कोई बिल ज्यादा आया हुआ है। उपभोक्ता के लेजर से प्रतीत होता है कि उक्त परिसर पर चैकिंग हुई थी जिसमें विद्युत चोरी का जुर्माना हुआ था जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा नही कराया गया वह धनराशि उपभोक्ता के संयोजन में बाद में जोडा गया था जिसकी धनराशि रू0. 23,614.00 मय ब्याज थी। उपभोक्ता के बिल में इससे अलग कोई भी धनराशि नही जोडी गयी है उसके बाद से उपभोक्ता का बिल भी जमा नही कराया गया है। महोदय, यह भी अवगत कराना है कि कर निर्धारण पर यदि कोई आपत्ति होती है तो उसकी अपील माननीय जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के यहां किये जाने का प्रावधान भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत बना हुआ है तथा माननीय मंच को यह भी अवगत कराना है कि धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय जिला जज महोदय के पास है इसलिये उक्त प्रकरण पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार भी माननीय मंच के पास नही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पक्षकारो की ओर से कोई अन्य साक्ष्य अथवा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

—विचारण—

मंच के समक्ष परिवादी श्री सगीर अहमद तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए। सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से शिकायत के विचारणीय वाद बिन्दु बनाये जाते है —

1. क्या उपभोक्ता के विरुद्ध धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी की कार्यवाही विचाराधीन चली आती है?

क्रमशः......03

2. उपभोक्ता का वास्तविक नाम क्या है? समीर है या सगीर ?
3. क्या किसी अन्य के विरुद्ध की गई विद्युत चोरी की कार्यवाही में धारा 126 में विद्युत निर्धारण धनराशी रुपये 23614.00 को परिवादी उपभोक्ता के बिल में जोड कर वसूल किया जाना विधि सम्मत है?
4. क्या परिवादी का परिवाद मंच के समक्ष पोषणीय है ?

उपरोक्त के दृष्टिगत मंच द्वारा निम्नलिखित विचारण किया गया—

1. यहकि विपक्षी द्वारा किये गये कथन एवं दाखिल किये गये प्रपत्रों से अब्दुल कादिर पुत्र सगीर अहमद के विरुद्ध, श्री समीर अहमद (श्री सगीर अहमद) के प्रश्नगत परिसर पर चोरी की कार्यवाही का किया जाना स्पष्ट है। क्योंकि निरीक्षण रिपोर्ट कागज स0—12 में कनेक्शन न0—JW1/1229123884 अंकित है जो कि श्री समीर अहमद (श्री सगीर अहमद) के नाम पर 02 किलोवाट विद्युत भार के साथ दिनांक 17.10.2012 से गतिमान है।

2. यहकि विपक्षी ने अपने रिकार्ड में उपभोक्ता का नाम समीर होने का कथन किया है। श्री सगीर अहमद द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनका विद्युत बिल श्री समीर के नाम से निर्गत किया जा रहा है। अतः स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत परिसर पर निर्गत विद्युत संयोजन संख्या—जेडब्लू11229123884 के माध्यम से श्री सगीर अहमद (श्री समीर अहमद) द्वारा विद्युत का उपभोग किया जा रहा है।

3. यहकि उपरोक्त के दृष्टिगत चूंकि परिवादी द्वारा, प्रश्नगत संयोजन पर की जा रही विद्युत चोरी का लाभ प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया है, क्योंकि प्रश्नगत परिसर पर चोरी की गई विद्युत की मात्रा, परिवादी के नाम पर निर्गत मीटर संख्या—यू331254 पर दर्ज नहीं की जा रही थी।

4. यहकि परिवादी का परिवाद विद्युत चोरी से संबंधित है फलस्वरूप धारा—126 के अंतर्गत की गई कार्यवाही के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार मंच क्षेत्राधिकार में नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद मंच क्षेत्राधिकार में न होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	16/01/2025	16/01/2025
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—1, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 288 / 2024 दिनांक : 08.01.2025

परिवादी :– श्री नूर जमाल पुत्र श्री नूर मोहम्मद, पता–दादूपुर गोविन्दपुर, बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नूर जमाल पुत्र श्री नूर मोहम्मद, पता–दादूपुर गोविन्दपुर, बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–जेडब्लू11223057052, भार 03 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल गलत आ रहा था। जिसकी सूचना उनके द्वारा विद्युत विभाग को दी गयी थी। जिस पर विद्युत विभाग द्वारा चैक मीटर लगाया गया था। उसके उपरान्त उनका विद्युत बिल माह जुलाई 2024 व अगस्त 2024 में फिर से गलत हो गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त संयोजन का बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 5915 दिनांकित 19.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि संयोजन संख्या जेडब्लू11223057052 नामें श्री नूर जमाल पुत्र श्री नूर मोहम्मद, पता–दादूपुर गोविन्दपुर, बहादराबाद, हरिद्वार के सापेक्ष उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, बहादराबाद द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर हेतु शिकायत क्रमांक 20409240626 के आधार पर विद्युत परीक्षणशाला, सिड़कुल द्वारा दिनांक 11.10.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर संख्या जीयू386941 (सिलिंग संख्या 32 / 1703 दिनांक 11.10.2024) स्थापित किया गया। जो दिनांक 14.11.2024 (सिलिंग संख्या 35 / 1696 दिनांक 14.11.2024) को फाईनल कर दिया गया था तथा उपभोक्ता के परिसर पर पुराना मीटर ही छोडा गया। जिसके अनुसार चैक मीटर संख्या जीयू386941 की तुलना में मैन मीटर संख्या यू330211 मात्र 0.18 प्रतिशत तेज पाया गया था जोकि मानक के अनुसार सही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री नूर जमाल को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 03 किलोवाट भार पर, दिनांक 30.06.1998 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.12.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व

क्रमशः......02

में स्थापित मीटर संख्या—129014 के दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 30.09.2023 को मीटर संख्या—330211 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त नये मीटर संख्या—330211 की शुद्धता पर आशंका व्यक्त करते हुए, चैक मीटर स्थापित किए जाने के लिए शिकायत संख्या—20409240626 की गई। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 11.10.2024 को चैक मीटर संख्या—जीयू386941 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 14.11.2024 को फाइनल किया गया। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—330211, चैक मीटर की तुलना में मात्र 0.18 प्रतिशत तेज पाया गया है। अर्थात परिवादी के संयोजन पर गतिमान उक्त मीटर संख्या—330211 सही पाया गया है। परिवादी के संयोजन पर गतिमान उक्त मीटर संख्या—330211 पर, दिनांक 30.09.2023 से दिनांक 12.12.2024 तक, लगभग 14.40 माह की अवधि में, कुल 8457 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 14.40 माह की अवधि में, औसतन लगभग 587 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, पूर्व में भी 587 यूनिट से अधिक औसत मासिक खपत की दर से विद्युत का उपभोग किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.09.2023 से दिनांक 24.11.2024 तक जारी बिलों में वांछित संशोधन करते हुए, दिनांक 12.12.2024 को जारी बिल, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—330211 पर, दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का निस्तारण किए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/01/2025 — 08/01/2025

(संजय कुमार) — न्यायिक सदस्य
(जी0 एस0 धर्मसत्तू) — तकनीकी सदस्य
(सतीश उनियाल) — उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 289/2024 दिनांक : 24.01.2025

परिवादी :– श्री इमरान अली पुत्र श्री कासिम अली, ग्राम–बिझौली, पोस्ट–मिलापनगर, तहसील–रूड़की, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री इमरान अली पुत्र श्री कासिम अली, ग्राम–बिझौली, पोस्ट–मिलापनगर, तहसील–रूड़की, जनपद हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD2L222153559, विद्युत भार 02 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनको लम्बे समय से खराब मीटर के बिल दिये जा रहे हैं। जबकि उनका मीटर आज भी सही चल रहा है। जिसे ठीक कराने के लिए वह कई बार लण्ढौरा स्थित, विद्युत कार्यालय में गया लेकिन उनका बिल ठीक नहीं किया गया और बिल ठीक करने के बजाए माह फरवरी 2024 में उनका कनैक्शन काट दिया गया था। वह बिल को सही करवाने एवं कनैक्शन को जुड़वाने के लिए बिजली घर लण्ढौरा के चक्कर लगाते रहे। लेकिन न तो बिल ठीक किया गया और न ही कनैक्शन जोड़ा गया। इसके बाद उनके द्वारा, माह अगस्त 2024 में रू0 30000.00 जमा किये गये, उसके बाद कई चक्कर लगाने के बाद माह अक्टूबर में उनका कनैक्शन जोड़ा गया। लेकिन फिर भी बिल ठीक नहीं किया गया और अब फिर माह नवम्बर 2024 में रू0 53606.00 का बिल दिया गया है जोकि बिल्कुल गलत है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल रीडिंग के आधार पर सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 161, दिनांकित 07.01.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली को अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD2L222153559, श्री इमरान अली पुत्र श्री कासिम अली, ग्राम–बिझौली, पोस्ट–मिलापनगर, तहसील–रूड़की, जनपद हरिद्वार के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु, 02 कि0वा0, दिनांक 07.07.2013 को निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा द्वारा, पत्रांक 1190 दिनांक 09.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या 62289235 की वर्तमान रीडिंग, दिनांक 29.11.2024 को जॉच कराने पर 2305 केडब्लूएच पाई गयी है। जिस के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 1968.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच के समक्ष परिवादी श्री इमरान अली अनुपस्थित रहे तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 07.07.2013 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.02.2023 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 18.11.2024 तक, लगातार 07 बिलिंग चक्रों के लिए एनआर / आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2024 के पश्चात लगातार 08 बिलिंग चक्रों की अवधि में कोई भी बिल, परिवादी को जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा निर्धारित समय पर बिल जारी न करते हुए तथा लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार, अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2 / 4 / 7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, निर्धारित समयावधि में बिल जारी किए जा सकें।

परिवादी के कथनानुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–62289235 पर, विद्युत खपत दर्ज की जा रही है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा लगातार एनआर / आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंच द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 29.11.2024 को संपादित स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के प्रश्नगत उक्त मीटर पर रीडिंग / खपत–2305 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 28.02.2023 (मीटर रीडिंग–1955 केडब्लूएच) के पश्चात लगातार एनआर / आईडीएफ के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार, स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा दिनांक 28.02.2023 से दिनांक 29.11.2024 तक, कुल 350 (2305–1955) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, उक्त अवधि हेतु जारी अनंतिम बिलों के सापेक्ष, कुल 8620 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त 350 यूनिट की तुलना में लगभग 8862.85 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 161 दिनांक 07.01.2025 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को, दिनांक 03.10.2023 से दिनांक 18.11.2023 तक, एनआर / आईडीएफ आधार पर जारी अनंतिम बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या–62289235 पर दर्ज, मीटर रीडिंग–2305 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 03.10.2023 से दिनांक 18.11.2023 तक, एनआर / आईडीएफ आधार पर जारी अनंतिम बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–62289235 पर दर्ज मीटर रीडिंग–2305 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी करते हुए परिवादी की उक्त समस्या का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

क्रमशः......03

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की उक्त समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/01/2025 | 24/01/2025

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य | (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य | (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 290/2024 **दिनांक : 16.01.2025**

परिवादी :– श्रीमती संजीदा पत्नी स्व0 अकरम, मोहल्ला–कस्साबान निकट कुरेशियान मस्जिद, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती संजीदा पत्नी स्व0 अकरम, मोहल्ला–कस्साबान निकट कुरेशियान मस्जिद, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या JW40744029715, विद्युत भार 02 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन उनके ससुर के नाम से लिया हुआ था। जिनका स्वर्गवास काफी समय पहले हो गया था तथा उनके पति का भी स्वर्गवास हो चुका है। उक्त कनेक्शन से विद्युत विभाग द्वारा काफी समय पहले मीटर उतार लिया गया था। विद्युत विभाग में जाने से पता चला कि उनका बिल रूका हुआ चला आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में उन्होंने दिनांक 23.02.2024 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड ज्वालापुर हरिद्वार में एक प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही किसी प्रकार की नहीं हुई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल रीडिंग के आधार पर सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 6068 दिनांकित 30.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि श्रीमति संजीदा पत्नी स्व0 श्री अकरम द्वारा जिस संयोजन संख्या JW40744029715 के सापेक्ष वाद दायर किया गया है वह श्री रासीद अहमद पुत्र श्री नबी बख्श के नाम है। नियमानुसार उक्त संयोजन को श्री रासीद अहमद पुत्र श्री नबी बख्श के Legal Heir को अपने नाम स्थानांतरण किया जाना था। उक्त संयोजन संख्या नामें श्री रासीद अहमद पुत्र श्री नबी बख्श को बकाया होने के कारण दिनांक 21.04.2020 को अस्थायी विच्छेदित कर दिया गया था। उक्त संयोजन संख्या नामें श्री रासीद अहमद पुत्र श्री नबी बख्श को बकाया होने के कारण स्थायी विच्छेदित कर दिया गया है। जिससे उक्त संयोजन संख्या का रू0. 86606.00 का System Generated Electricity Bill बन गया है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अजीम को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः......02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 22.04.1989 को श्री रसीद अहमद के नाम पर स्वीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 23.08.2012 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 18.10.2012 को एनआर तथा दिनांक 24.12.2012 को एनए आधार पर, दिनांक 30.08.2017 को एमसी आधार पर तद्पश्चात दिनांक 30.04.2018 से दिनांक 24.02.2024 तक आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 18.10.2012 से दिनांक 30.08.2017 तक लगभग 58.40 माह की अवधि में कोई बिल, परिवादिनी को जारी नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार दिनांक 30.08.2017 से दिनांक 30.04.2018 तक, लगभग 9 माह की अवधि में कोई बिल जारी नहीं किए गए हैं। तथा दिनांक 21.04.2020 के पश्चात, दिनांक 24.02.2024 को, लगभग 56 माह बाद अंतिम बिल परिवादिनी को जारी किया गया है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में स्थापित मीटर संख्या—942003 के दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत, दिनांक 22.04.2014 को, मीटर संख्या—32191465 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसे परिवादिनी के विद्युत संयोजन से संबंधित अभिलेखों में, लगभग 52 माह बाद दर्ज किया गया है। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार उक्त मीटर संख्या—32191465 पर लगभग 52 माह के उपरांत भी, दिनांक 30.08.2017 को शून्य विद्युत खपत दर्ज पाई गई है। विद्युत विभाग द्वारा, उक्त तिथि 30.08.2017 के उपरांत, लगभग 9 माह बाद दिनांक 30.04.2018 को जारी बिल में मीटर को आईडीएफ दर्शाया गया है। अर्थात उक्त मीटर संख्या--32191465 पर कभी भी विद्युत की खपत दर्ज नहीं पाई गई है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.08.2012 से दिनांक 21.04.2020 तक, लगभग 92 माह के लिए एनआर / एमसी / आईडीएफ आधार पर विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2 / 4 / 7 / 8) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर निर्धारित समय पर बिल जारी किए जा सकें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि विपक्षी विभाग को किसी भी प्रकार की कोई राजस्व हानि न हो।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादिनी का प्रश्नगत विद्युत संयोजन दिनांक 21.04.2020 को, विद्युत बकाये के सापेक्ष, अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, पूर्व में दिनांक 20.02.2012 से दिनांक 23.08.2012 तक, लगभग 06 माह की अवधि में कुल 317 (1927—1610) यूनिट की विद्युत खपत का बिल परिवादिनी को जारी किया गया है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 06 माह की अवधि में, लगभग 53 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है, इस प्रकार परिवादिनी को दिनांक 23.08.2012 से दिनांक 21.04.2020 (अस्थायी विच्छेदन की तिथि) तक लगभग 92.60 माह की अवधि हेतु, उक्त औसत मासिक विद्युत खपत—53 यूनिट के आधार पर, विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए कुल 4815 (53×92.60) यूनिट का बिल निर्गत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को दिनांक 24.12.2024 को जारी बिल को निरस्त कर, दिनांक 03.08.2012 से दिनांक 21.04.2020 (अस्थायी विच्छेदन की तिथि) तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के

क्रमशः......03

आधार पर, दिनांक 21.04.2020 के पश्चात निर्मित सभी फर्जी बकाये की धनराशि को समाप्त करते हुए, विलंब अधिभार शुल्करहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 18.10.2012 से दिनांक 21.04.2020 तक, तथा दिनांक 24.12.2024 को जारी बिल को निरस्त कर, दिनांक 23.08.2012 से दिनांक 21.04.2020 (अस्थायी विच्छेदन की तिथि) तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर, दिनांक 21.04.2020 के पश्चात निर्मित सभी फर्जी बकाये की धनराशि को समाप्त करते हुए, विलंब अधिभार शुल्करहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/01/2025 | 16/01/2025

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 291/2024 **दिनांक : 16.01.2025**

परिवादी :– श्री मुर्सरत पुत्र श्री असगर, ग्राम–ब्रहमपुर, पोस्ट–ढंढेडी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मुर्सरत पुत्र श्री असगर, ग्राम–ब्रहमपुर, पोस्ट–ढंढेडी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–681BR21071037, विद्युत भार 01 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि माह 03/2021 में मीटर यूनिट के आधार पर बिल आ रहे थे वह बिल सह समय जमा कर दिये गये थे। माह 03/2021 के बाद माह 10/2023 में अचानक से बिल बहुत ज्यादा धनराशि का आया है जिस बिल की धनराशि रू0. 205418.00 थी। वह इस बिल के सम्बन्ध में विद्युत विभाग के कार्यालय भी गये थे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन का बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 746 दिनांकित 23.12.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री मुर्सरत पुत्र श्री असगर, ग्राम–ब्रहमपुर, पोस्ट–ढंढेडी, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार को घरेलू संयोजन संख्या 681BR21071037, विद्युत भार 01 कि0वा0 दिनांक 30.08.1991 को निर्गत किया गया था। शिकायतकर्ता की खपत दिनांक 09.03.2017 से दिनांक 16.11.2019 तक निम्न तालिका अनुसार दर्ज की जा रही थी।

S. No.	From	Upto	Period (Days)	Prev KWH	Status as Per	Pres KWH	Status as per	Consumer unit as per HIS	AS per Consumption	Per/Month
1	19-09-2019	16-11-2019	58	21105	MU	22389	MU	1284	1284	673.4
2	20-07-2019	19-09-2019	61	19505	MU	21221	CDF	1600	1716	855.7
3	17-05-2019	20-07-2019	64	17905	MU	19640	CDF	1600	1735	824.6
4	05-03-2019	17-05-2019	73	16419	MU	17905	MU	1486	1486	619.2
5	20-01-2019	05-03-2019	44	15619	MU	16549	CDF	800	930	642.9
6	21-11-2018	20-01-2019	60	13861	MU	15619	MU	1758	1758	891.2

क्रमशः......02

S. No.	From	Upto	Period (Days)	Prev KWH	Status as Per	Pres KWH	Status as per	Consumer unit as per HIS	AS per Consumption	Per/Month
7	18-09-2018	21-11-2018	64	12467	MU	13861	MU	1394	1394	662.5
8	17-07-2018	18-09-2018	63	10966	MU	12467	MU	1501	1501	724.7
9	21-05-2018	17-07-2018	57	9490	MU	10966	MU	1476	1476	787.6
10	08-03-2018	21-05-2018	74	8038	MU	9490	MU	1452	1452	596.8
11	12-01-2018	08-03-2018	55	6479	MU	8038	MU	1559	1559	862.2
12	15-11-2017	12-01-2018	58	5595	MU	6479	MU	884	884	463.6
13	15-09-2017	15-11-2017	61	4513	MU	5595	MU	1082	1082	539.5
14	15-07-2017	15-09-2017	62	3346	MU	4513	MU	1167	1167	572.5
15	16-05-2017	15-07-2017	60	2257	MU	3346	MU	1089	1089	552.1
16	09-03-2017	16-05-2017	68	1166	MU	2257	MU	1091	1091	488.0
Total Months	32							Total Consumer units	21604	

उक्त तालिका अनुसार मासिक औसत खपत 675.125 यूनिटस प्रतिमाह दर्ज है तथा उक्त अवधि (16.11.2019) के उपरान्त से माह सितम्बर 2023 तक के बीजक विद्युत मापक की वास्तिविक रीडिंग आधार पर दर्ज न होकर एनआर आदि में निर्गत हो रहे थे क्योकि उपभोक्ता मीटर रीडर को पर्दा प्रथा का हवाला देकर उस कक्ष में प्रवेश नही करने देता था जिसमें मीटर लगा हुआ था। अधोहस्ताक्षरी को भी परिसर पर लोड गणना के समय उपभोक्ता ने पहले इसी बहाने से अनाकानी की परन्तु अधोहस्ताक्षरी महिला होने के कारण परिसर का निरीक्षण करने में सफल रही तथा दिनांक 12.10.2023 को प्रेषित रीडिंग खपत 57998—22389=35609(47 माह हेतु) 16.11.2019 से दिनांक 12.10.2023 तक की ही वास्तिविक रीडिंग खपत है। जो 757 यूनिटस प्रतिमाह बैठती है एवं पूर्व की मासिक खपत(तालिका अनुसार) के लगभग समान ही है। शिकायतकर्ता के परिसर पर दिनांक 13.12.2024 को भार गणना करने पर अधोहस्ताक्षरी को कनेक्टेट लोड 8.218 केडब्लूएच पाया गया। उक्त से भी प्रतिमाह होने वाली रीडिंग खपत की पुष्टि होती है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिसर पर पाये गये कनेक्टेट लोड के दृष्टिगत उपभोक्ता को दिनांक 12.10.2023 को निर्गत बीजक धनराशि, विद्युत मापक की वास्तिविक रीडिंग के आधार पर ही निर्गत है।

मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री मुत्तलिन को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अनिता उपस्थित हुई।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 30.08.1991 से गतिमान है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, दिनांक 21.03.2021 तक एमयू आधार पर, दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 02.10.2023 तक, लगातार 13 बिलिंग चक्रों के लिए एनआर आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 12.10.2023 से दिनांक 29.03.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 30.04.2024 से दिनांक 01.09.2024 तक लगातार 04 बिलिंग चक्रों के लिए, एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा लगातार 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार, एनआर आधार पर अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत

क्रमशः......03

आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

परिवादी द्वारा, दिनांक 12.10.2023 को जारी बिल में दर्शायी गई धनराशि को अत्यधिक बताते हुए उक्त बिल को विवादित ठहराया गया है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 19.09.2019 से दिनांक 12.10.2023 तक, लगभग 49 माह की अवधि में कुल 36777 (57998—21221) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 49 माह की अवधि में, लगभग 751 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इससे पूर्व में भी परिवादी द्वारा, दिनांक 05.03.2019 से दिनांक 19.09.2019 तक, लगभग 6.46 माह की अवधि में कुल 4672 (21221—16549) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 6.46 माह की अवधि में लगभग 723 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 751 यूनिट प्रति माह की तुलना में मात्र 3.73 प्रतिशत कम है। बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व के महिनों में उक्त 751 यूनिट प्रति माह की दर से भी अधिक मात्रा में, विद्युत खपत दर्ज की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.10.2023 को जारी विद्युत बिल में दर्शायी गई विद्युत खपत, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—660093 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी किया गया है, जो कि परिवादी द्वारा पूर्व में दर्ज की गई विद्युत खपत के समान/अनुरूप है। फलस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 12.10.2023 को जारी बिल में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/01/2025 16/01/2025

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 292/2024 दिनांक : 09.01.2025

परिवादी :– श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री राज सिंह, ग्राम व पोस्ट–निजामपुर, तहसील–रूड़की, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवाद के तथ्य– परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री राज सिंह, ग्राम व पोस्ट–निजामपुर, तहसील–रूड़की, जनपद हरिद्वार द्वारा कागज स0–1 मय संलग्नक कागज स0–2 ता 4 प्रस्तुत कर विद्युत संयोजन संख्या RD2F126024940 विद्युत भार 01 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन परिवादी के परिसर पर लगा हुआ है। कथन किया कि उसने सारा बिल भी जमा कर दिया है परन्तु विद्युत विभाग द्वारा उसे रिकवरी का नोटिस भेजा गया है जो कि गलत है क्योंकि उसके यहाँ कोई बिजली चोरी नहीं की गयी है और न ही भविष्य मे की जाएगी। मंच से अनुरोध है कि रिकवरी के नोटिस को निरस्त कराने की कृपा करे।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी ने अपने जवाब कागज स0–6,7 (पत्र संख्या 7132 दिनांकित 11.12.2024) मय सलग्नक कागज स0–8 ता 20 प्रस्तुत कर कथन किया है कि शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र पुत्र श्री राज सिंह द्वारा अपनी शिकायत मे जिस विद्युत संयोजन संख्या RD2F126024940 के सम्बन्ध मे बताया गया है, आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त विद्युत संयोजन घरेलू उपयोग हेतु 01 कि0वा0 भार का दिनांक 04.12.1985 श्री राज सिंह पुत्र श्री धुम सिंह के नाम पर निर्गत किया गया था। सर्वप्रथम शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र पुत्र श्री राज सिंह द्वारा यह कहना कि सारा बिल जमा कर दिया गया है, के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त संयोजन के सापेक्ष माननीय मंच के समक्ष शिकायत दर्ज कराने से पूर्व 43 माह पश्चात दिनांक 05.12.2024 को बीजक जमा कराया गया

क्रमशः......02

है। शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र पुत्र श्री राज सिंह द्वारा की गयी विद्युत चोरी के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि 23 माह पूर्व दिनांक 17.12.2022 को विद्युत सतर्कता दल देहरादून एवं उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा के द्वारा चैकिंग के दौरान श्री जितेन्द्र पुत्र श्री राज सिंह के परिसर पर स्थापित संयोजन के अलावा मीटर से पहले कट लगा कर एक अन्य केबिल के माध्यम से विद्युत चोरी करते हुए पकडा गया। विद्युत सतर्कता दल देहरादून एवं उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा के द्वारा प्राप्त चैकिंग रिर्पोट के आधार पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकार के रूप मे अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 व उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (द सप्लाई कोड रेग्यूलेशन्स 2020 के अन्तर्गत अनंतिम निर्धारण रू0. 1,39,708.00 निर्धारित किया गया)। शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र द्वारा की गयी विद्युत चोरी के सापेक्ष विभाग द्वारा तय अनंतिम निर्धारण रू0. 1,39,708.00 का भुगतान नही किये जाने के कारण दिनांक 03.02.2024 को उत्तराखण्ड सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयो की वसूली) अधिनियम 1958 की धारा 3 के अधीन प्रपत्र–5 (आरसी) जारी कर दी गयी।

–विचारण–

सुनवाई हेतु पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी प्रतिनिधि उपस्थित। सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायत का मूल कारण विपक्षी द्वारा रिकवरी का जारी होना है जोकि विद्युत चोरी पकडे जाने के परिणाम स्वरुप जारी की गई है। परिवादी का यह कथन करना कि उसके द्वारा विद्युत चोरी नही की गई है सम्बंधी वाद बिन्दु पर विचार करने का क्षेत्राधिकार इस फोरम को प्राप्त नही है। Vide UREC(Guideline for appointment of Members and Procedure to be followed by the forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulation,2019 Chapter 3.1(4). तदनुसार शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण किया जाना उचित एवं आवश्यक है।

आदेश

परिवादी का परिवाद मंच के समक्ष पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

09/01/2025 | 09/01/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में प्रत्यावेदन कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 296/2024 दिनांक : 30.01.2025

परिवादी :– श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री धनप्रकाश, निवासी–ग्राम बाकरपुर, पोस्ट–खानपुर बरहामपुर, लक्सर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री धनप्रकाश, निवासी–ग्राम बाकरपुर, पोस्ट–खानपुर बरहामपुर, लक्सर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–एलके21434101533 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन उनका निजि घरेलू कनेक्शन है और वर्तमान में उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जिसमें दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 09.12.2023 तक, रीडिंग बिल अत्यधिक भेजी गई। फिर उनको विद्युत विभाग के कार्यालय से संपर्क करने पर पता चला कि मीटर खराब है और जंप कर गया है फिर उन्होंने 2023 का स्टेटमेंट निकलवाया जिसमें दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 09.12.2023 तक की 5000 रीडिंग ज्यादा आई और चेक मीटर लगवाने पर भी 5 प्रतिशत का अंतर आया जिसके चलते उपभोक्ता को मानसिक पड़ताडना का सामना करना पड़ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके अत्यधिक रीडिंग बिल 5 प्रतिशत मीटर का अंतर एवं पेनॅल्टी को सही करवाया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 730 दिनांकित 30.12.2024 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री सुभाष चन्द के अनुरोध के आधार पर उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 06.12.2023 को विभाग द्वारा चैक मीटर स्थापित किया गया एवं दिनांक 27.03.2024 को चैक मीटर फाईनल किया गया। तदोंपरान्त उपभोक्ता के मीटर में 5.00 प्रतिशत का अन्तर पाया गया। उक्त के क्रम में उपभोक्ता के विद्युत बीजक में धनराशि रू0. 951.00 का समायोजन किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री सुभाष चन्द को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री विवेक गुप्ता उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 01.06.2009 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, वर्तमान में एमयू आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 06.10.2023 से दिनांक

क्रमशः......02

06.11.2023 तक, एक माह की अवधि हेतु, कुल 5337 (14358—9021) यूनिट की विद्युत खपत के सापेक्ष सिलिंग आधार पर बिल जारी किया गया है। तद्पश्चात परिवादी द्वारा दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 10.02.2024 तक, लगभग 03 माह की अवधि में, कुल 991 (15345—14354) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 03 माह की अवधि में लगभग 330 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 5337 यूनिट प्रति माह की तुलना में लगभग 93.82 प्रतिशत कम है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में गतिमान मीटर संख्या—421338 को चैक मीटर संख्या—10218897 द्वारा दिनांक 27.03.2024 को प्रतिस्थापित किया गया है। चैक मीटर की तुलना में मीटर संख्या—421338, मात्र 05 प्रतिशत तेज पाया गया है। उक्त नये मीटर संख्या—10218897 पर, दिनांक 27.03.2024 से दिनांक 06.01.2025 तक, लगभग 9.30 माह की अवधि में कुल 4192 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 9.30 माह की अवधि में लगभग 451 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 5337 यूनिट प्रति माह की तुलना में 91.55 प्रतिशत कम है तथा 330 यूनिट प्रति माह की तुलना में लगभग 36.66 प्रतिशत अधिक है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर मीटर संख्या—421338, दिनांक 12.02.2020 से दिनांक 27.03.2024 तक, लगभग 49.50 माह की अवधि में गतिमान रही है जिस पर उक्त 49.50 माह की अवधि में, कुल 15792 (15792—0) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 49.50 माह की अवधि में लगभग 319 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 5337 यूनिट की तुलना में 95.02 प्रतिशत कम है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या—421338 पर समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत के अनुसार बिल जारी नहीं किए गए हैं। फलस्वरूप दिनांक 06.11.2023 को जारी बिल में, पूर्व की अवधि में दर्ज विद्युत खपत की अवशेष मात्रा को भी सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, पूर्व में गतिमान मीटर संख्या—421338 पर, दिनांक 12.02.2020 से दिनांक 06.11.2023 तक, लगभग 44.80 माह की अवधि में कुल 14358 (14358—0) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 44.80 माह की अवधि में, लगभग 321 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 330 यूनिट प्रति माह की तुलना में मात्र 2.72 प्रतिशत कम है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 11.08.2020 से दिनांक 10.02.2024 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 14.06.2020 से दिनांक 10.02.2024 तक की अवधि हेतु, उक्त अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत (15345—942) यूनिट के सापेक्ष दर्ज मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 11.08.2020 से दिनांक 10.02.2024 तक, जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 14.06.2020 से दिनांक 10.02.2024 तक की अवधि हेतु, उक्त अवधि में दर्ज कुल विद्युत खपत (15345—942) यूनिट के सापेक्ष दर्ज मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर, चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट का नियमानुसार संज्ञान लेते हुए, संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/01/2025 30/01/2025

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 297/2024 दिनांक : 31.01.2025

परिवादी :– श्रीमति मधु जैन पत्नी वाई0के0जैन, ए–1, शिवालिक नगर, बीएचईएल, रानीपुर, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमति मधु जैन पत्नी वाई0के0जैन, ए–1, शिवालिक नगर, बीएचईएल, रानीपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या JW61237043461, विद्युत भार 03 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि दिनांक 22.04.2024 से 24.05.2024(563 यूनिट) और 24.05.2024 से 23.06.2024(3440 यूनिट) के लिए अत्यधिक बिल बनाया गया है जबकि अधिकतम मांग 02 कि0वा0 दर्शायी गई है। यदि 02 कि0वा0 की मांग भी 24 घंटे बनी रहती है तो अधिकतम विद्युत खपत, 2×24×30=1440 यूनिट होगी, जो कि किसी भी दशा में संभव नहीं है। दिनांक 02.07.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया था परिणामस्वरूप यह संदेह से परे है कि मीटर दोषपूर्ण था। तदनुसार, दिनांक 28.08.2024 को बिल संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात 27.09.2024, 29.10.2024 तथा 22.11.2024 को अनुस्मारक प्रस्तुत किए गए, लेकिन अभी तक बिल संशोधित नहीं किए गए हैं। जब मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है तो यह अपेक्षित है कि बिल को पूर्ववर्ती चार महीनों की औसत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार का मामला (वाद संख्या 123/2024) माननीय मंच के समक्ष पूर्व में आया था, जिसमें औसत खपत पर बिल जारी करने का आदेश माननीय मंच द्वारा निर्गत किया गया था। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त को दृष्टिगत रखते हुए समस्या का समाधान किया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 523 दिनांकित 22.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि संयोजन संख्या-JW61237043461, नामें श्रीमती मधु जैन का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है तथा वर्तमान में उपभोक्ता पर रू0 13690.00 की देयता शेष है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री वाई0के0जैन को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री एस0के0गौतम उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का

क्रमशः......02

यह विद्युत संयोजन, 03 किलोवाट भार पर, दिनांक 25.07.1995 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, वर्तमान में, एमयू आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। परिवादिनी द्वारा, दिनांक 24.05.2024 तथा दिनांक 23.06.2024 को जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत क्रमशः 563 यूनिट एवं 3440 यूनिट को, पूर्व में जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक बताते हुए विवादित ठहराया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा, दिनांक 22.04.2023 से दिनांक 22.04.2024 तक लगभग 12 माह की अवधि में कुल 654 (4526—3872) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में, लगभग 55 यूनिट की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त विद्युत खपत 563 एवं 3440 यूनिट प्रति माह की तुलना में क्रमशः 90.23 प्रतिशत एवं 98.40 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार परिवादिनी द्वारा दिनांक 19.04.2022 से दिनांक 22.04.2023 तक, लगभग 12 माह की अवधि में कुल 383 (3872—3489) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में लगभग 32 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 563 यूनिट एवं 3440 यूनिट प्रति माह की तुलना में क्रमशः 94.32 प्रतिशत एवं 99.67 प्रतिशत कम है।

इसी क्रम में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर दिनांक 02.07.2024 को चैक मीटर संख्या—जीयू386374 स्थापित किया गया है जिसे दिनांक 10.08.2024 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर तद्‌समय गतिमान मीटर संख्या—32124754, चैक मीटर संख्या—जीयू386374 की तुलना में 64.00 प्रतिशत तेज पाया गया है। परिवादिनी द्वारा उक्त मीटर संख्या—32124754 के माध्यम से, दिनांक 02.07.2024 से दिनांक 22.12.2024 तक, लगभग 5.66 माह की अवधि में कुल 475 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 5.66 माह की अवधि में लगभग 84 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 563 एवं 3440 यूनिट प्रति माह की तुलना में क्रमशः 85.08 प्रतिशत एवं 98.14 प्रतिशत कम है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 24.05.2024 तथा दिनांक 01.06.2024 को, दोषपूर्ण मीटर संख्या—32124754 पर दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को दिनांक 24.05.2024 से दिनांक 24.09.2024 तक जारी समस्त बिलों का निरस्त करते हुए, दिनांक 22.04.2024 से दिनांक 02.07.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के अनुसार तथा दिनांक 02.07.2024 से दिनांक 24.09.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—जीयू386374 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 24.05.2024 से दिनांक 24.09.2024 तक जारी समस्त बिलों का निरस्त करते हुए, दिनांक 22.04.2024 से दिनांक 02.07.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत मासिक विद्युत खपत के अनुसार तथा दिनांक 02.07.2024 से दिनांक 24.09.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—जीयू386374 पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर, विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/01/2025 31/01/2025

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 298/2024 **दिनांक : 16.01.2025**

परिवादी :– श्री यामिन पुत्र श्री फिरोज, ग्राम–गुज्जर बस्ती, पोस्ट–गैण्डीखाता, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री यामिन पुत्र श्री फिरोज, ग्राम–गुज्जर बस्ती, पोस्ट–गैण्डीखाता, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–691/1337/109802 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन का विद्युत बिल बहुत अधिक एवं गलत आ रहा है। उनका वर्तमान बिल रू0. 32633.00 हो गया है जो कि गलत बिल है जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके विद्युत बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 3465 दिनांकित 24.12.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री यामिन पुत्र श्री फिरोज, ग्राम–गुज्जर बस्ती, पोस्ट–गैण्डीखाता, जिला–हरिद्वार के विद्युत संयोजन संख्या 691/1337/109802 की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी उपभोक्ता को मीटर यूनिट के आधार पर बिल प्राप्त हो रहे हैं। वादी द्वारा अन्तिम भुगतान धनराशि रू0. 10000.00, दिनांक 27.05.2024 को किया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री यामिन को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से अवर अभियन्ता श्री नीमेश कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 10.03.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 27.11.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा, दिनांक 17.01.2024 से दिनांक 27.11.2024 तक, लगभग 10.33 माह की अवधि में, कुल 956 (2915–1959) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 10.33 माह की अवधि में, लगभग 93 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, पूर्व के वर्षों में भी उक्त 93 यूनिट प्रति माह से अधिक औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा नियमित रूप से बिलों का

क्रमशः......02

भुगतान नहीं किया जा रहा है। परिवादी द्वारा, दिनांक 30.07.2023 को जारी बिल की धनराशि रू0 61743.00 के सापेक्ष मात्र रू0 30,000.00, दिनांक 21.08.2023 को भुगतान किया गया है। तद्पश्चात दिनांक 21.05.2024 को जारी बिल की धनराशि रू0 38313.00 के सापेक्ष मात्र रू0 10,000.00 दिनांक 27.05.2024 को जमा किया गया है। परिणामस्वरूप परिवादी को जारी बिलों में विलंब अधिभार शुल्क जोड़ा गया है। मंच द्वारा, सुनवाई के दौरान परिवादी को, विद्युत बिलों का भुगतान नियमित रूप से किए जाने की सलाह, दी गई ताकि परिवादी को विलंब अधिभार शुल्क का अतिरिक्त भार वहन न करना पड़े।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या–एसएस15028751 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, बिल जारी किए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/01/2025 16/01/2025

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 300/2024 दिनांक : 24.01.2025

परिवादी :- श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र श्री मंदर दास, निवासी-ग्राम-झबरेड़ा, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र श्री मंदर दास, निवासी-ग्राम-झबरेड़ा, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-आरडी9जे491591197 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल दिसम्बर 2021 में विभाग द्वारा गलत रीडिंग 24339 पर बना दिया था जिसे अगले बिल वर्ष 2022 में सही रीडिंग 13680 पर विभाग ने अपनी गलती मानते हुए ठीक कर दिया था। उनकी इतनी रीडिंग की खपत नहीं है लेकिन फिर से दिसम्बर 2023 में विभाग द्वारा अत्यधिक रीडिंग 30110 पर बिल बना दिया गया है जबकि मीटर खराब था। जून 2024 में, जो आईडीएफ का बिल जारी किया वह बहुत अधिक रडिंग का बनाया है जिसे दिनांक 15.11.2024 को, मीटर बदलने के बाद, उन्होंने बिल ठीक कराने का प्रार्थना पत्र, दिनांक 16.11.2024 को खण्ड कार्यालय ग्रामीण रूड़की में रिसीव कराया था। परन्तु विभाग ने जो बिल ठीक किया है, वह बिना मीटर की एडवाइज किए ही ठीक किया है, जिस कारण वर्तमान में दिसम्बर 2024 का बिल जारी होने पर फिर से बिल बढ़ जाएगा। अतः मंच से अनुरोध है कि माह दिसम्बर 2023 में जारी रीडिंग 30110 को गलत मानकर, उनका आईडीएफ का बिल, नए मीटर को, एडवाइज कराकर रीडिंग आधार से बनवाते हुए ठीक करवाया जाए एवं माननीय मंच से एक अन्य विनती यह है कि विभाग द्वारा खातों में कनैक्शन काटने की फर्जी एन्ट्री करने का अत्यधिक प्रचलन बढ़ गया है इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही करने की कृपा करें, क्योंकि उनका कनैक्शन को भी बिना कनैक्शन काटे ही डिस्कनैक्टेड दिखाया गया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 105, दिनांकित 04.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी9जे491591197, श्री दीपक कुमार गर्ग पुत्र श्री मंदर दास, निवासी-ग्राम-झबरेड़ा, तहसील-रूड़की, जिला-हरिद्वार के नाम पर, निजि नलकूप के उपयोग हेतु, 7.50 एच0पी0, दिनांक 28.06.2020 को निर्गत किया गया था। शिकायतकर्ता के परिसर पर स्थापित पुराने खराब मीटर संख्यां 9789361 को, नये मीटर संख्या 9879568 द्वारा बदल दिया गया। दोनों विद्युत मीटर

क्रमशः......02

की एमआरआई रिर्पोट के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक की धनराशि, संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 70458.89 है, जोकि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री मयंक कुमार को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्डीय लिपिक श्री संदीप कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 7.50 एचपी भार पर, दिनांक 26.06.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 31.07.2021 को, मीटर रीडिंग 11575 केडब्लूएच के आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 27.12.2021 को जारी बिल में मीटर रीडिंग 24339 केडब्लूएच दर्शायी गई है जबकि पत्रावली में उपलब्ध एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर, तद्समय गतिमान मीटर संख्या—8789861 पर, दिनांक 01.03.2023 को मीटर रीडिंग 11905.896 केडब्लूएच दर्ज है। दिनांक 02.07.2022 को आरडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त दोनों बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 28.12.2022 को मीटर रीडिंग—13680 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित बिल जारी किया गया है। दिनांक 24.06.2023 एवं दिनांक 30.12.2023 को एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। तद्पश्चात दिनांक 09.08.2024 को आईडीएफ तथा दिनांक 21.12.2024 को एमसी आधार पर बिल जारी किया गया है।

परिवादी के कथनानुसार एवं पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, परिवादी द्वारा दिनांक 21.07.2021 से दिनांक 30.12.2023 तक, लगभग 29 माह की अवधि में कुल 18535 (30110—11575) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा 29 माह की अवधि में, लगभग 3835 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 09.08.2024 तक लगभग 7.30 माह की अवधि हेतु 57944 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है। इसी प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.08.2024 से दिनांक 14.11.2024 तक, लगभग 3.15 माह की अवधि हेतु 53576 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण किया गया है जो कि उक्त औसत खपत 3835 प्रति छमाही की तुलना में अत्यधिक है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 105 दिनांक 04.01.2025 द्वारा प्रस्तुत संशोधित बिल की गणना शीट का अवलोकन किए जाने पर विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, औसत विद्युत खपत की गणना मात्र दो बिलिंग चक्रों के आधार पर की गई है जबकि नियमानुसार, उक्त औसत विद्युत खपत की गणना तीन बिलिंग चक्रों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 09.08.2024 तथा दिनांक 21.12.2024 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 14.11.2024 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या—8789361 पर, दिनांक 31.07.2021 से दिनांक 30.12.2024 तक की अवधि में, मीटर रीडिंग—11575 केडब्लूएच से 30110 केडब्लूएच तक की गई विद्युत खपत के सापेक्ष, दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 14.11.2024 से दिनांक 21.12.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—9579568 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः......03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 09.08.2024 तथा दिनांक 21.12.2024 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 30.12.2023 से दिनांक 14.11.2024 तक की अवधि हेतु, मीटर संख्या—8789361 पर, दिनांक 31.07.2021 से दिनांक 30.12.2024 तक की अवधि में, मीटर रीडिंग—11575 केडब्लूएच से 30110 केडब्लूएच तक की गई विद्युत खपत के सापेक्ष दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 14.11.2024 से दिनांक 21.12.2024 तक की अवधि हेतु, परिवादी के संयोजन पर वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—9579568 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल, परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/01/2025 | 24/01/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 304/2024 दिनांक : 30.01.2025

परिवादी :– श्रीमति ममता सैनी पत्नी अर्जुन कुमार सैनी, निवासी– सी 16, सन्देश नगर, कनखल, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमति ममता सैनी पत्नी अर्जुन कुमार सैनी, निवासी– सी 16, सन्देश नगर, कनखल, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 697/0433/091378, विद्युत भार-05 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत मीटर, पिछले कुछ माह पहले, मीटर में अत्यधिक रीडिंग आ गयी थी जिस कारण उनके द्वारा चैंक मीटर का आवेदन कर, रसीद कटा ली गई थी। चैंक मीटर लगने के उपरान्त उनका बिल संशोधन नहीं हो पाया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी उक्त समस्या का निवारण किया जाए तथा साथ ही जब तक उनका यह वाद मंच के समक्ष विचाधीन है तब तक उनका कनैक्शन न काटा जाये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 3745 दिनांकित 04.01.2025 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि विद्युत संयोजन संख्या 697/0433/091378 की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी उपभोक्ता को मीटर यूनिट के आधार पर बिल प्राप्त हो रहे हैं। वादी द्वारा अन्तिम भुगतान धनराशि रू0. 50000.00 दिनांक 04.01.2025 को किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अर्जुन कुमार सैनी को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता(राजस्व) श्रीमति प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 05 किलोवाट भार पर, दिनांक 29.09.2007 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, वर्तमान में एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.12.2023 के पश्चात, 08 बिलिंग चक्रों के लिए कोई भी बिल, परिवादिनी को जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, निर्धारित समयावधि में बिल जारी न करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2/4) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन

क्रमशः......02

के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि में बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 22.12.2023 को जारी बिल में, दिनांक 21.11.2023 से दिनांक 22.12.2023 तक, लगभग 01 माह की अवधि हेतु, कुल 5091 (40692—35601) यूनिट विद्युत खपत दर्शायी गई है। इससे पूर्व परिवादिनी द्वारा दिनांक 22.02.2023 से दिनांक 21.11.2023 तक, लगभग 09 माह की अवधि में कुल 3263 (35601—32338) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 09 माह की अवधि में, लगभग 363 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि उक्त 5091 यूनिट प्रति माह की तुलना में, 92.87 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 25.12.2022 से दिनांक 22.02.2023 तक, लगभग 02 दो माह की अवधि हेतु कुल 5637 (32338—26701) यूनिट की विद्युत खपत के बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 02 माह की अवधि में, लगभग 2819 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 363 यूनिट प्रति माह की तुलना में लगभग 676.58 प्रतिशत अधिक है तथा उक्त 5091 यूनिट प्रति माह की तुलना में 44.63 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार परिवादिनी द्वारा, दिनांक 22.12.2021 से दिनांक 25.12.2022 तक लगभग 12 माह की अवधि में, कुल 4201 (26701—22500) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में, लगभग 350 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 5091, 2819 तथा 363 यूनिट प्रति माह की तुलना में क्रमशः 93.13 प्रतिशत, 87.58 प्रतिशत तथा 3.85 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार परिवादिनी द्वारा दिनांक 22.12.2020 से दिनांक 25.12.2021 तक लगभग 12 माह की अवधि में कुल 4679 (22500—17821) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 12 माह की अवधि में 389 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या—355242 पर, समय—समय पर दर्ज विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं। परिवादिनी के संयोजन पर तद्समय गतिमान उक्त मीटर संख्या—355242 के दोषपूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 12.08.2024 को, मीटर संख्या—9544215 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तदोपरांत परिवादिनी द्वारा दिनांक 12.08.2024 से दिनांक 11.12.2024 तक, लगभग 04 माह की अवधि में कुल 1494 (4523—3029) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा उक्त 04 माह की अवधि में लगभग 274 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादिनी द्वारा दिनांक 21.03.2018 से दिनांक 22.12.2023 तक, लगभग 69 माह की अवधि में कुल 39674 (40692—1018) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा, उक्त 69 माह की अवधि में लगभग 575 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 22.12.2023 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 04.05.2018 से दिनांक 22.12.2023 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या—355242 पर दर्ज विद्युत खपत—37094 (40692—3598) यूनिट के सापेक्ष दर्ज मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

वाद सं0—304 / 2024
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 05.07.2018 से दिनांक 22.12.2023 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 04.05.2018 से दिनांक 22.12.2023 तक की अवधि हेतु, परिवादिनी के संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या—355242 पर दर्ज विद्युत खपत—37094 (40692—3598) यूनिट के सापेक्ष दर्ज मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर, संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 01/2025 दिनांक : 31.01.2025

परिवादी :– श्री आलम गीर पुत्र स्व0 अब्दुल गनी, मकान सं0 490, ग्राम पदार्था, गुज्जर बस्ती, पोस्ट धनपुरा, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री आलम गीर पुत्र स्व0 अब्दुल गनी, मकान सं0 490, ग्राम पदार्था, गुज्जर बस्ती, पोस्ट धनपुरा, जनपद हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या LK21504509754, विद्युत भार 02 कि0वा0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका यह विद्युत कनेक्शन उनके स्वर्गीय पिताजी के नाम से लगा हुआ है। जिसका वर्तमान में उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उनके परिसर पर एक पंखा व एक बल्ब लगा है जिसका वह उपयोग करते हैं जिसमें भी बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। उनका मीटर भी उतार लिया गया है। वह एक गरीब व्यक्ति है जो इतना ज्यादा बिल जमा करने में असमर्थ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवाकर, उनका कनेक्शन को पुनः जुड़वा दिया जाये।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांकित 16.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के पूर्व खपतों का अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल वास्तविक खपत के आधार पर ही निर्गत किये गये हैं। उपभोक्ता द्वारा संयोजन निर्गत होने की तिथि 16.10.2018 से आज दिनांक तक भी कोई बकाया विद्युत बिल जमा नही किया है। वर्तमान में उपभोक्ता को 68286.00 रू0. विद्युत बिल जमा करना है। जो कि वास्तविक विद्युत खपत पर आधारित है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री आलम गीर को सुना गया तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री प्रवेश कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 16.10.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 14.12.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा, दिनांक 17.01.2024 से दिनांक 14.12.2024 तक, लगभग 11 माह की अवधि में कुल

क्रमशः......02

1733 (9874—8141) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 11 माह की अवधि में लगभग 158 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इसी प्रकार परिवादी द्वारा, दिनांक 22.02.2023 से दिनांक 17.01.2024 तक, लगभग 11 माह की अवधि में कुल 1382 (8141—6759) यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, उक्त 11 माह की अवधि में, लगभग 126 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि उक्त 158 यूनिट प्रति माह की तुलना में लगभग 25.40 प्रतिशत कम है। उपरोक्त विवरण से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा उक्त संयोजन के सापेक्ष स्वीकृत भार के अनुरूप ही विद्युत खपत की जा रही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—81618893 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जिन्हें किसी भी दशा में संशोधित किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/01/2025 31/01/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 132/2024 **दिनांक : 25.01.2025**

परिवादी :– श्री शेर अली पुत्र स्व0 श्री फय्याज, राम भट्टे के पास, ग्राम–भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शेर अली पुत्र स्व0 श्री फय्याज, राम भट्टे के पास, ग्राम–भगवानपुर, चन्दनपुर, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD9L391680025 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनैक्शन ट्यूबवेल का है जिसके बिल में आईडीएफ लिखा है और मीटर में रीडिंग 18,789 है और बिल 49,586 रीडिंग का बना कर भेजा गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री शेर अली उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा, मंच के समक्ष, अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रख गये। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। समय पर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु, मंच द्वारा, मौके पर ही, विपक्षी विभाग को, नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा, पत्र संख्या 108, दिनांकित 04.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या–RD9L391680025, श्री फय्याज पुत्र स्व0 श्री रहामुल्ला, ग्राम–भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर, निजि नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच0पी0, दिनांक 30.03.1986 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत मापक आईडीएफ होने के कारण बीजक, पिछले दो एमयू बीजक के आधार संशोधित किया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक, संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 63718.00 धनराशि का है, जोकि उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः......02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 10 एच0पी0 भार पर, दिनांक 30.03.1986 को, श्री फय्याज के नाम पर निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 08.01.2020 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 04.07.2020 एवं दिनांक 09.01.2021 को आईडीएफ आधार पर, दिनांक 08.07.2021 को एमयू आधार पर, तद्पश्चात लगातार, 06 बिलिंग चक्रों के लिए आईडीएफ/आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार, अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, निर्धारित समयावधि में बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, मीटर रीडिंग—40526 केडब्लूएच तक, एमयू आधार पर जारी बिलों का भुगतान, परिवादी द्वारा किया गया है। परिवादी के कथनानुसार, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—316294 पर रीडिंग—18789 दर्ज है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.01.2020 में जारी बिल में मीटर रीडिंग—40526 केडब्लूएच दर्ज की गई है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर उक्त मीटर संख्या—316294, दिनांक 04.05.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार उक्त मीटर संख्या—316294 पर दिनांक 08.01.2020 को, रीडिंग—40526 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है इस प्रकार परिवादी द्वारा, दिनांक 04.05.2012 से दिनांक 08.01.2020 तक लगभग 91 माह की अवधि में कुल 2672 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जबकि परिवादी के अनुसार उक्त 91 माह की अवधि में, लगभग 18789 यूनिट विद्युत की खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 91 माह की अवधि में लगभग 1239 यूनिट प्रति छमाही की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि व्यवहारिक दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 04.07.2020 से दिनांक 08.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—316294 को तत्काल प्रभाव से नये मीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 04.07.2020 से दिनांक 08.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 08.01.2020से दिनांक 08.08.2024 तक की अवधि हेतु, पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—316294 को तत्काल प्रभाव से नये मीटर द्वारा प्रतिस्थापित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/01/2025 | 25/01/2025

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 147/2024 दिनांक : 30.01.2025

परिवादी :– श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र, वार्ड नं0–07, मौहल्ला–गुर्जरवाडा, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र, वार्ड नं0–07, मौहल्ला–गुर्जरवाडा, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD9L195722640 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह कनैक्शन गांव गाधारोण में एक नीजि नलकूप का है। जिसका बिल 2021 में रू0 46,000.00 था जिसमें से उन्होंने रू0 25,000.00, दिनांक 01.01.2021 में जमा करा दिये थे। उसके बाद उनको कोई बिल विभाग द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद उनको दिनांक 25.10.2022 में जो बिल दिया गया वह रू0 1,05,256.00 का बिल दिया गया जो कि आरडीएफ में बना हुआ है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री संजीव कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 278 दिनांकित 09.01.2025 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या– RD9L195722640, श्री संजीव कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र, वार्ड नं0–07, मौहल्ला–गुर्जरवाडा, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर निजि नलकूप उपयोग हेतु, 08 एच0पी0, दिनांक 13.09.2014 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत मापक आईडीएफ होने के कारण बीजक पिछले दो एमयू के आधार पर बीजक को संशोधित किया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 129063.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया

क्रमशः......02

जाना अपेक्षित है। विद्युत संयोजन संख्या आरडी9एल195722640, बीजक बकाया होने के कारण अस्थायी तौर पर विच्छेदित चल रहा है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 08.00 एच0पी0 भार पर, दिनांक 13.09.2014 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2020 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 24.12.2020 को यूडीसी आधार पर, कुल 3416 यूनिट विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है। दिनांक 07.07.2021 को एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है जिसमें, दिनांक 24.12.2020 को, निर्धारण के आधार पर दर्ज 3416 यूनिट का समायोजन नहीं दिया गया है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 10.10.2020 से दिनांक 07.07.2021 तक, परिवादी द्वारा की गई कुल वास्तविक विद्युत खपत 10569 (49449—38880) यूनिट के अतिरिक्त उक्त 3416 यूनिट की विद्युत खपत का निर्धारण का बिल परिवादी को जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 30.01.2022 तथा दिनांक 25.07.2022 को, आईडीएफ आधार पर, दिनांक 08.02.2023 को एमसी आधार पर, दिनांक 15.07.2023 को एनआर तथा दिनांक 30.12.2023 को आईडीएफ आधार पर, बिल जारी किया गया है। परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर तद्समय गतिमान मीटर संख्या—359951 को, दिनांक 16.10.2022 को, मीटर संख्या—9158162 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, बिल की धनराशि जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप, परिवादी का यह संयोजन दिनांक 10.01.2024 को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। परिवादी द्वारा पूर्व में जमा की गई बिल की धनराशि रू0 25000.00 का समायोजन, दिनांक 07.07.2021 को जारी बिल में दिया गया है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 278 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से, परिवादी के प्रश्नगत विवादित बिलों के संशोधन के संबंध में प्रस्तुत किया गया गणना पत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 24.12.2020 को यूडीसी आधार पर जारी बिल में, निर्धारण के आधार पर दर्शायी गई अतिरिक्त विद्युत खपत 3416 यूनिट का समायोजन नहीं दिया गया है। परिवादी के संयोजन को दिनांक 10.01.2024 को, अस्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के उपरांत भी, दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि हेतु भी विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए बिल जारी किया गया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी संशोधित बिल में, दिनांक 24.12.2020 को यूडीसी आधार पर जारी बिल के सापेक्ष निर्धारण के आधार पर दर्शायी गई विद्युत 3416 यूनिट का समायोजन प्रदान करते हुए तथा दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि हेतु, निर्धारण के आधार पर आरोपित बिल की धनराशि को समाप्त करते हुए पुनः संशोधित बिल परिवादी को जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को जारी संशोधित बिल में, दिनांक 24.12.2020 को यूडीसी आधार पर जारी बिल के सापेक्ष निर्धारण के आधार पर दर्शायी गई विद्युत 3416 यूनिट का समायोजन प्रदान करते हुए तथा दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि हेतु, निर्धारण के आधार पर आरोपित बिल की धनराशि को समाप्त करते हुए पुनः संशोधित बिल परिवादी को जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/01/2025 | 20/01/2025

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	(सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 155/2024 दिनांक : 09.01.2025

परिवादी :– श्री याकूब अली वास्ते गफूर पुत्र श्री माजीद, ग्राम–हरजौली जट, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री याकूब अली केयर ऑफ गफूर पुत्र श्री माजीद, ग्राम–हरजौली जट, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD9F193690407 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि यह उनका ट्यूबवेल का कनैक्शन है, विद्युत विभाग द्वारा बिना रीडिंग लिए ही बिल बना दिया, जो कि बहुत अधिक एवं गलत है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री याकूब अली उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर, विपक्षी को जवाब हेतु, नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 7244 दिनांकित 20.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या–RD9F193690407, श्री गफूर पुत्र श्री माजीद, ग्राम–हरजौली जट, पोस्ट–लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर निजि नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच0पी0, दिनांक 17.08.1995 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 307130 की वर्तमान रीडिंग 84507 केडब्लूएच के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 21187.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन निजि नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच0पी0 भार पर, दिनांक 17.08.1995 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 24.12.2023 तक, एमयू आधार पर, दिनांक 08.08.2024 को एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 08.08.2024 को एनआर आधार पर जारी बिल की धनराशि, पूर्व में जारी बिलों की तुलना में अत्यधिक है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 08.08.2024 से पूर्व में, दिनांक 15.01.2023, दिनांक 03.07.2023 तथा दिनांक 24.12.2023 को जारी बिलों में दर्ज विद्युत खपत क्रमशः 12104, 12545 तथा 14334 यूनिट है। इस प्रकार परिवादी द्वारा गत 17.13 माह में कुल 38983 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 17.13 माह की अवधि में औसतन लगभग 2276 यूनिट प्रति माह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। उक्त औसत मासिक विद्युत खपत के सापेक्ष दिनांक 08.08.2024 को जारी अनंतिम बिल सही प्रतीत होता है। इसी परिपेक्ष्य में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—307130 पर दिनांक 12.12.2024 को दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग 84567 केडब्लूएच के आधार पर बिल जारी किया गया है जिसमें दिनांक 08.08.2023 को एनआर आधार पर जारी बिल का समायोजन दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन में गतिमान मीटर संख्या—307130 पर, दिनांक 12.12.2024 को दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग—84507 केडब्लूएच के आधार पर बिल जारी करते हुए परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/01/2025 09/01/2025

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 177/2024 **दिनांक : 31.01.2025**

परिवादी :– श्री खलील पुत्र श्री सईद, ग्राम–नगला इमरती, पोस्ट–मिलाप नगर, लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री खलील पुत्र श्री सईद, ग्राम–नगला इमरती, पोस्ट–मिलाप नगर, लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD900B1721223 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका यह कनैक्शन एक निजी नलकूप का है। उक्त निजी नलकूप पर स्थापित मीटर सं0 313227 है। उक्त मीटर में जब उनके द्वारा बिल संशोधिन हेतु एक प्रार्थना पत्र (संलग्न) उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में दिया गया उस समय जो एमआरआई की छायाप्रति उनके द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी, उसमें मात्र 8317 मीटर रीडिंग थी और विभाग द्वारा त्रुटिवश 53180 मीटर यूनिट का बिल जारी किया गया था। तत्पश्चात सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा मीटर साईट से उतार लिया गया था। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री खलील उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 445 दिनांकित 16.01.2025 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन सं0 RD900B1721223, श्री खलील पुत्र श्री सईद, ग्राम–नगला इमरती, पोस्ट–मिलाप नगर, लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर, निजि नलकूप उपयोग हेतु, 10 एच0पी0, दिनांक 06.04.2011 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं0 RD900B1721223 के मापक संख्या 312327 की रीडिंग पाठयांक 33101 केडब्लूएच के सापेक्ष दिनांक 31.12.2016 को निर्गत विद्युत बीजक रू0 38460.00 का भुगतान उपभोक्ता द्वारा दिनांक 26.03.2017 को किया गया है। विद्युत संयोजन सं0 RD900B1721223 के मापक सं0 312327 की रीडिंग पाठयांक 40260

क्रमशः......02

केडब्लूएच के सापेक्ष दिनांक 07.01.2018 को निर्गत बीजक रू0 13776.00 का भुगतान उपभोक्ता द्वारा दिनांक 05.03.2018 को किया गया है। विद्युत संयोजन सं0 RD900B1721223 के माह 12/2016 से माह 01/2018 तक की विद्युत खपत 33101—40260=7156÷12=596 यूनिट लगभग औसत प्रतिमाह है। विभागीय कर्मचारी द्वारा 12/2018 को विद्युत संयोजन सं0 RD900B1721223 के मापक सं0 312327 की रीडिंग पाठयांक 466613 केडब्लूएच एवं माह 12/2019 को रीडिंग पाठयांक 53180 केडब्लूएच प्राप्त की जिसकी विद्युत खपत 46613—53180=6567÷12=547 यूनिट लगभग प्रतिमाह है। विद्युत संयोजन सं0 RD900B1721223 के मापक सं0 312327 की दिनांक 12.06.2023 को की गई एमआरआई रिपोर्ट का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मापक त्रुटि पूर्ण होने से बैक जम्पहुआ है। उक्त मापक को सहायक अभियन्ता (मीटर) परीक्षणशाला रूड़की के कार्यालय पत्रांक 18 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा M/s Genus Power Infratrues Ltd. कम्पनी को जांच हेतु भेज दिया गया है। जांचोपरान्त कम्पनी से प्राप्त रिपोर्ट मा0 मंच के समक्ष उपलब्ध करा दी जायेगी। विद्युत संयोजन सं0 RD900B1721223 के बीजक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी विद्युत खपत पर निर्गत किये गये है, मापक के त्रुटि होने के कारण, एमआरआई रिपोर्ट में रीडिंग—23312 केडब्लूएच पर बीजक आरडीएफ में बना है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन सं0 RD900B1721223, किलोवाट 10.00 एच0पी0 भार पर, दिनांक 06.04.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 29.06.2021 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 30.12.2021 से दिनांक 30.12.2023 तक, लगातार 05 बिलिंग चक्रों के लिए आरडीएफ/आईडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार अनंतिम आधार पर बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

परिवादी का प्रश्नगत विद्युत संयोजन, दिनांक 10.01.2024 को, विद्युत बिल की बकाया धनराशि के सापेक्ष, मीटर रीडिंग—72967 केडब्लूएच पर अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 07.01.2018 को जारी बिल की धनराशि रू0 13776.00 का भुगतान, परिवादी द्वारा दिनांक 05.03.2018 को किया गया है। दिनांक 05.03.2018 के पश्चात, किसी भी बिल का भुगतान परिवादी द्वारा नहीं किया गया है। परिवादी के कथनानुसार दिनांक 01.01.2020 को जारी बिल में दर्शायी गई मीटर रीडिंग—53180 केडब्लूएच गलत है जबकि परिवादी के प्रश्नगत मीटर पर मात्र 8317 केडब्लूएच रीडिंग दर्ज है। इस प्रकार परिवादी के कथनानुसार, परिवादी द्वारा, दिनांक 06.04.2011 से दिनांक 01.01.2020 तक, लगभग 105 माह की अवधि में, मात्र 8317 यूनिट की विद्युत खपत, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—312327 पर दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 105 माह की अवधि में लगभग 79 यूनिट प्रति माह (474 यूनिट प्रति छमाही) की दर से विद्युत खपत की गई है जो कि व्यावहारिक दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि 10 एचपी विद्युत भार के सापेक्ष मात्र 474 यूनिट प्रति छमाही की विद्युत खपत तभी संभव है जबकि परिवादी द्वारा उक्त छह माह के दौरान मात्र 63 घंटे व 35 मिनट की अवधि हेतु ही विद्युत का उपभोग किया गया हो, जो कि व्यावहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है।

क्रमशः......03

विपक्षी विभाग द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों से विदित होता है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—312327 पर, दिनांक 01.01.2020 को मीटर रीडिंग—53180 केडब्लूएच दर्ज पाई गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 06.04.2011 से दिनांक 01.01.2020 तक, लगभग 105 माह की अवधि में कुल 53180 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा उक्त 105 माह की अवधि में लगभग 507 यूनिट प्रतिमाह (3042 यूनिट प्रति छमाही) की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि परिवादी के संयोजन के सापेक्ष स्वीकृत विद्युत भार के दृष्टिगत सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को दिनांक 30.07.2020 से दिनांक 20.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 10.01.2024 (अस्थायी विच्छेदन की तिथि) तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा, दिनांक 28.06.2018 से दिनांक 01.01.2020 तक, लगभग 18 माह की अवधि में की गई कुल विद्युत खपत 9670 (53180—43510) यूनिट के सापेक्ष, दर्ज औसत छमाही विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 30.07.2020 से दिनांक 20.08.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 10.01.2024 (अस्थायी विच्छेदन की तिथि) तक की अवधि हेतु, परिवादी द्वारा, दिनांक 28.06.2018 से दिनांक 01.01.2020 तक, लगभग 18 माह की अवधि में की गई कुल विद्युत खपत 9670 (53180—43510) यूनिट के सापेक्ष, दर्ज औसत छमाही विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी को संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	31/01/2025	31/01/2025
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 185/2024 **दिनांक : 09.01.2025**

परिवादी :- श्री अफजाल पुत्र श्री मासूम, नियर किसान पेट्रोल पम्प मंगलौर रोड़, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अफजाल पुत्र श्री मासूम, नियर किसान पेट्रोल पम्प मंगलौर रोड़, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या-RD6L361703429 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर खराब है जिस कारण मीटर का बिल गलत आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि मीटर बदलवा कर उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री अफजाल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर, विपक्षी को जवाब हेतु, नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 7245 दिनांकित 20.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या-RD6L361703429 श्री अफजाल पुत्र श्री मासूम, नियर किसान पेट्रोल पम्प मंगलौर रोड़, ग्राम-भगवानपुर चन्दनपुर, पोस्ट-लंढौरा, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर अघरेलू उपयोग हेतु, 02 कि0वा0, दिनांक 13.10.2021 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1119 दिनांक 26.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संजोजन संख्या- RD6L361703429 के बीजक विद्युत मापक संख्या एसएस15298678 की वर्तमान रीडिंग के आधार पर, बीजक संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0. 23267.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित है।

मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः......02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, 02 किलोवाट भार पर, दिनांक 13.10.2021 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 19.09.2023 तक एमयू आधार पर, दिनांक 02.11.2023 से दिनांक 26.04.2024 तक, लगातार 07 बिलिंग चक्रों हेतु एनआर / आईडीएफ आधार पर, तद्पश्चात लगभग 6.73 माह के बाद दिनांक 18.11.2024 को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, लगातार दो बिलिंग चक्रों से अधिक बार अंतरिम बिल जारी किए जाने तथा निर्धारित बिलिंग चक्रों में बिल निर्गत न किए जाने के परिणामस्वरूप, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2 / 4 / 7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर निर्धारित बिलिंग चक्रों के अनुसार बिल जारी किए जा सकें।

परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी विभाग द्वारा लगातार आईडीएफ आधार पर त्रुटिपूर्ण बिल जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंच द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2024 को संपादित स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के संयोजन पर गतिमान प्रश्नगत मीटर संख्या—एसएस15298678 पर, मीटर रीडिंग 2052 केडब्लूएच पाई गई तथा मीटर सही पाया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा, दिनांक 19.09.2023 से दिनांक 18.11.2024 तक कुल 638 (2052—1414) यूनिट की विद्युत खपत की गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.09.2023 से दिनांक 26.04.2024 तक की अवधि हेतु कुल 2200 यूनिट विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए, बिल जारी किए गए हैं जो कि उक्त 638 यूनिट की तुलना में 244.83 प्रतिशत अधिक है जिसे किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 7245 दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से, मंच को अवगत कराया गया है कि दिनांक 21.11.2023 से दिनांक 26.04.2024 तक, आईडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—एसएस15298678 पर, दिनांक 18.11.2024 को दर्ज पाई गई मीटर रीडिंग / खपत 2052 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित प्रति से होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को, दिनांक 21.11.2023 से दिनांक 26.04.2024 तक जारी, समस्त अनंतिम बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—एसएस15298678 पर, दिनांक 18.11.2024 को दर्ज पाई गई मीटर रीडिंग 2052 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/01/2025 | 09/01/2025

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>**नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।**</u>

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 188 / 2024 दिनांक : 31.01.2025

परिवादी :– श्रीमती कौसर जहाँ पत्नी श्री मुस्तकीम, मोहल्ला–पठानपुरा, कस्बा–मंगलौर, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कौसर जहाँ पत्नी श्री मुस्तकीम, मोहल्ला--पठानपुरा, कस्बा–मंगलौर, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD21724173785 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर खराब होने पर मीटर बदला गया था। विभाग ने नए मीटर की रीडिंग गलत भेज कर आरडीएफ में बिल बहुत अधिक बढ़ाकर रू0 61,000.00 का बिल भेजा गया था। जिस कारण उन्होंने विद्युत विभाग को प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उनका बिल ठीक नहीं किया गया। बाद में जब उनके पुत्र ने माननीय सेवा के अधिकार में वाद दर्ज कराया तब विद्युत विभाग ने बिल तो ठीक कर दिया लेकिन उनकी एएसडी को एक वर्ष के बिलों की अमाउंट रू0 61,138.00 मानकर रू0 6,793.00 सिक्योरिटी की मांग की है जबकी एक वर्ष के बिलों में, गलत बिलों रू0 35,057.00 व रू0 8,581.00 व रू0 16,779.00 की अमाउंट को भी जोड़ा गया है जो गलत बिलों की धनराशि है जिसमें उन्होंने जानकारी के अभाव में दो किश्त जमा भी कर दी हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि एएसडी कैलकुलेशन सही कराने एवं जमा की गयी दोनों एएसडी किश्तों की अमाउंट को बिलों में समायोजित करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री जिशान अंसारी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादिनी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर विपक्षी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 443 दिनांकित 16.01.2025 द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार संयोजन सं0 RD21724173785 ,श्रीमती कौसर

जहां पत्नी श्री मुस्तकीम के नाम पर घरेलू उपभोग हेतु, 01 कि0वा0 दिनांक 20.04.2016 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं0 RD21724173785 के सम्बन्ध में उपभोक्ता के विद्युत बीजक में लगी अतिरिक्त सुरक्षा जमा (एएसडी) धनराशि को आरपीडीआरपी प्रणाली के माध्यम से संशोधित कर दिया गया है।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन, 01 किलोवाट भार पर, दिनांक 20.04.2016 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 15.12.2022 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 04.03.2023 से दिनांक 22.12.2023 तक, लगातार 06 बिलिंग चक्रों हेतु, एनआर / आरडीएफ / एमसी / आईडीएफ आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 22.12.2023 के पश्चात, 03 बिलिंग चक्रों हेतु कोई भी बिल, परिवादिनी को जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा, निर्धारित समयावधि पर बिल जारी न करते हुए तथा लगातार 02 बिलिंग चक्रों से अधिक बार अनंतिम बिल जारी करते हुए, मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अंतर्गत प्राविधानित, अध्याय 5.2.1 (2 / 4 / 7) का उल्लंघन किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त उल्लंघन के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक है ताकी भविष्य में दोषी कार्मिकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि पर वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए जा सकें।

विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या–4083632 के दोषपूर्ण हो जाने पर, मीटर संख्या–10197962 द्वारा, दिनांक 25.06.2023 को प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 02.05.2023 से दिनांक 22.12.2023 तक जारी अनंतिम बिलों को निरस्त करते हुए, दिनांक 10.04.2024 को संशोधित बिल परिवादी को जारी किया गया है। तद्पश्चात दिनांक 26.05.2024 से दिनांक 21.07.2024 तक, एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी को अनंतिम आधार पर जारी बिलों में दर्शायी गई अत्यधिक विद्युत खपत के आधार पर, परिवादिनी के विरूद्ध अतिरिक्त जमानत धनराशि आरोपित की गई है जो कि परिवादिनी द्वारा सामान्यतया की जा रही औसत विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक है। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा, पत्रांक 443 दिनांक 16.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी को जारी उक्त अनंतिम बिलों के संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप परिवादिनी के विरूद्ध आरोपित अतिरिक्त जमानत धनराशि को भी संशोधित करते हुए परिवादिनी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन के सापेक्ष जारी बिल में दर्शायी गई अतिरिक्त जमानत धनराशि को नियमानुसार संशोधित करते हुए, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर देने के परिणामस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

सम्मुख उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार

उपभोक्ता वाद सं0 203/2024 **दिनांक : 08.01.2025**

परिवादी :– श्री जव्वार पुत्र श्री मकसूद, प्राथमिक विद्यालय के पास, ग्राम–बिझौली, पोस्ट–मिलापनगर, रूड़की, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जव्वार पुत्र श्री मकसूद, प्राथमिक विद्यालय के पास, ग्राम–बिझौली, पोस्ट–मिलापनगर, रूड़की, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–RD2L222153153, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके बिल में मीटर रीडर द्वारा ज्यादा रीडिंग पोस्ट कर बिल बना दिया गया था। उनके मीटर में रीडिंग कम है ओर बिल में ज्यादा है जिसका शिकायती पत्र उनके द्वारा विद्युत विभाग के कार्यालय में कई बार दिया जा चुका है, लेकिन उनका बिल ठीक नहीं हो पा रहा है। उनके मीटर की एमआरआई भी हो चुकी है। परन्तु तब भी उनका बिल ठीक नहीं हो पा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 14.08.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय लंढौरा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री जावेद उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी के तर्क सुने गए।

मौके पर सुनवाई के समय परिवादी के प्रतिनिधि द्वारा मंच के समक्ष अपनी उपरोक्त विद्युत शिकायत के संबंध में तर्क रखे गए। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी ने परिवादी की उक्त शिकायत के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत किया। मंच द्वारा मौके पर, विपक्षी को जवाब हेतु, नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 7246 दिनांकित 20.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली के अनुसार विद्युत संयोजन संख्या–RD2L222153153 श्री जव्वार पुत्र श्री मकसूद, प्राथमिक विद्यालय के पास, ग्राम–बिझौली, पोस्ट–मिलापनगर, रूड़की, हरिद्वार के नाम पर, अघरेलू उपयोग हेतु, 02 कि0वा0, दिनांक 23.09.2013 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1008 दिनांक 26.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन के बीजक विद्युत मापक संख्या यू351605 की वर्तमान रीडिंग के आधार पर संशोधित कर

क्रमशः......02

दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0(-)3820.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के अग्रिम बीजक मे समायोजित कर दी जायेगी।

मंच द्वारा मौके पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन, अघरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 पर, दिनांक 23.09.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 13.12.2024 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत / रीडिंग, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—यू351605 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत / रीडिंग के सापेक्ष अधिक है। इसी क्रम में, मंच के निर्देश पर विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2024 को संपादित स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, परिवादी के संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—यू351605 पर, मीटर रीडिंग 3072 केडब्लूएच पाई गई है जबकि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 18.04.2023 को जारी बिल में मीटर रीडिंग—3420 केडब्लूएच दर्शायी गई है। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 20.02.2023 के पश्चात दिनांक 01.12.2024 तक, लगातार, गलत मीटर रीडिंग के आधार पर, विद्युत बिल परिवादी को जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 7246 दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.02.2023 से दिनांक 01.12.2024 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—यू3515605 पर दर्ज, वास्तविक मीटर रीडिंग / खपत के आधार पर संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत लेजर की सत्यापित छायाप्रति से होती है जो कि सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यें के आलोक में मंच की राय में, विपक्षी विभाग द्वारा, दिनांक 20.02.2023 से दिनांक 01.12.2024 तक, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग के आधार पर जारी जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए, परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर गतिमान मीटर संख्या—यू351605 पर, दिनांक 13.12.2024 को दर्ज मीटर रीडिंग—3133 केडब्लूएच के आधार पर, संशोधित बिल परिवादी को जारी करते हुए, परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत का समाधान कर देने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/01/2025 08/01/2025

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>